रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06082020-220925
CG-DL-E-06082020-220925

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 189] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 5, 2020/श्रावण 14, 1942
No. 189] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 5, 2020/SHRAVANA 14, 1942

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 2020

प्रारंभिक जांच परिणाम

(मामला सं.ओआई 17/2019)

विषय : चीन जनगण के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "पोलीथीलीन टैरिफथलेट (पीईटी रेसिन)" के आयातों पर पाटनरोधी जांच।

फा.सं.6/24/2019-डीजीटीआर: - क. मामले की पृष्ठभूमि

समय समय पर यथासंशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम 1975 (इसके पश्चात अधिनियम के रूप में संदर्भित) तथा समय-समय पर यथासंशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आंकलन और संकलन तथा क्षति निर्धारण के लिए)नियमावली 1995 (इसके पश्चात पाटनरोधी नियमावली अथवा एडी रूल्स के रूप में संदर्भित) के संबंध में:

1. जबकि मैसर्स आईवीएल धनसेरि पैट्रोकेम इंडस्ट्रीज प्रा. लिमिटेड और मैसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लि. (इसके पश्चात आवेदकों अथवा याचिकाकर्ता घरेलू उद्योग के रूप में संदर्भित) ने सीमा प्रशुल्क अधिनियम 1975 और पाटनरोधी नियमावली के अनुसार चीन जनगण (इसके पश्चात संबद्ध देश के रूप में भी संदर्भित) इसके पश्चात संबद्ध वस्तुओं अथवा विचाराधीन उत्पाद के रूप में भी संदर्भित) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरुआत करने के लिए प्राधिकारी के समक्ष आवेदन दायर किया है।

2. और जबकि आवेदकों द्वारा प्रस्तुत किए गए विधिवत् पुष्टि किए गए आवेदन को देखते हुए, प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 के साथ पठित इस अधिनियम की धारा 9 के अनुसार संबद्ध वस्तुओं के किसी कथित पाटन के मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने के लिए तथा पाटनरोधी शुल्क की मात्रा जिसे अगर लगाया जाए तो घरेलू उद्योग को कथित क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा की शिफारिश करने के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 1 अक्तूबर, 12019 की फाइल संख्या 6/24/2019-डीजीटीआर के माध्यम से पाटनरोधी जांच शुरु की।

ख. प्रक्रिया

3. जांच के संबंध में नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन किया गया है,

क. प्राधिकारी ने उपर्युक्त नियम 5 के उपनियम (5) के अनुसार जांच की शुरुआत करने की कार्यवाही करने के पूर्व वर्तमान पाटनरोधी आवेदन के प्राप्त होने के बारे में भारत में संबद्ध देश के दूतावास को अधिसूचित किया।

ख. प्राधिकारी ने संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरुआत करते हुए भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित दिनांक 1 अक्तूबर, 2019 को आम नोटिस जारी किया।

ग. प्राधिकारी ने उपलब्ध सूचना के अनुसार भारत में संबद्ध देश के दूतावास, संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों, ज्ञात आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को दिनांक 1 अक्तूबर, 2019 की जांच की शुरुआत संबंधी सूचना की एक प्रति भेजी। हितबद्ध पक्षकारों से अनुरोध किया गया था कि वे निर्धारित रूप में और तरीके से संगत सूचना उपलब्ध कराएं तथा निर्धारित समय सीमा के भीतर लिखित रूप में अपने अनुरोधों से अवगत कराएं।

घ. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार भारत में ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों और संबद्ध देश के दूतावासों को आवेदन के अगोपनीय पाठ की एक प्रति भी उपलब्ध कराई।

ड. भारत में सब्द्ध देश के दूतावास से यह भी अनुरोध किया था कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने के लिए अपने देश से निर्यातकों/उत्पादकों को सलाह दें। उत्पादकों/निर्यातकों को भेजे गए पत्र और प्रश्नावली की एक प्रति भी संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों के नाम और पते के साथ इसे भेजी गई थी।

च. प्राधिकारी ने इस नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार संबद्ध देश में निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को प्रश्नावलियां भेजीं:

i. जियांगसु सनफैनसियांग ग्रुप कं. लि.
ii. झेजियांग वानकई न्यू मैटिरियल्स कं. लि.
iii. फार ईस्टर्न इंडस्ट्रीज (संघाई) लि.
iv. ड्रैगन स्पेशल रेसिन (जियामेनद्व कं. लि.

v. गुआंगडोंग आईवीएल पेट पोलीमर कं., लि.

vi. झोंगजिन इंडस्ट्री कं. लि.

vii. चांगझोऊ हेंगकी प्लास्टिक्सल कं. लि.

viii. चेनगोल्ड

ix. चोंगकिंग पेंगई

x. ड्रैगन स्पेशल रेसिन

xi. फोशन फेमस पोलीमर मैटिरियल्स कं. लि.

xii. गुआंगडोंग आईवीएल पेट पोलीमर कं. लि. (इंडोरामा वेंचर्स)

xiii. हेनन लोंगु कोल केमिकल कं. लि.

xiv झेजियांग झेनबंग केमिकल फाइबर कं. लि.

xv. जियांगसु सेनफंगजियांग ग्रुप

xvi. माओमिंग पैट्रोकेमिकल कंपनी

xvii. झेजियांग यिशेंग पैट्रोकेमिकल कं. लि.

xviii. सिनोपेक यिझेंग केमिकल फाइबर क. लि.

xix. टोंगकुन ग्रुप कं. लि.

xx. हेनन झोंगफु इंडस्ट्रियल कं. लि

xxi. झेजियांग झेंगकई

xxii. युहुआ पोलिस्टर कं. लि.

छ. उपर्युक्त अधिसूचना के उत्तर में, निम्नलिखित निर्यातकों/उत्पादकों ने उत्तर दिया अथवा निर्यातक की प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया:

i. जियांगयिन चेनगोल्ड पैकेजिंग मैटेरियल्स कं. लि.

ii. चाइना प्रोसपेरिटी (जियांगयिन) पैट्रोकेमिकल कं. लि.

iii. झेंगजियांग वानकई न्यू मेटिरियल्स

iv. जियांगसु जिंगये प्लास्टिक कं. लि.

v. जियांगयिन जिंगयु न्यू मैटिरियल कं. लि.

vi. जियांगसु कनफेम इंटरनेशनल ट्रेड कं., लि.

ज. प्राधिकारी ने इस नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना की मांग करते हुए भारत में संबद्ध वस्तुओं के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को प्रश्नावलियां भेजी:

i. गुआला क्लोजर्स इंडिया प्राइवेट लि.

ii. पेपसिको इंडिया होल्डिंग प्रा. लि.

iii. सनराइज कन्टेनर्स लि.

iv. एएसबी इंटरनेशनल प्रा. लि.

iv. स्टारपेट ट्रेडिंग प्रा. लि.

v. मद्रास हार्डटूल्स प्रा. लि.

vii. साईकृपा पोलीमर्स कारपोरेशन

viii. एस एस पोलीमर्स

ix. विनय प्लास्टिक्स

x. केतुल केम प्रा. लि.

झ. मद्रास हाल्ट प्रा. लि. और भारतीय प्लास्टिक संघ द्वारा उत्तर प्रस्तुत किया गया है।

ञ. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निरीक्षण के लिए खुली रखी गई सार्वजनिक फाइल के रूप में विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य का अगोपनीय पाठ उपलब्ध कराया। सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों पर इन प्रारंभिक जांच परिणामों में विचार किया गया है।

ट. जांच की अवधि सहित पिछले तीन वर्षो के आयातों का लेन-देन बार ब्यौरा उपलब्ध कराने के लिए वाणिज्यिक सूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय(डीजीसीआईएंडएस) को अनुरोध किया गया जो प्राधिकारी को प्राप्त हो गया है। प्राधिकारी ने आयातों की मात्रा की गणना और अपेक्षित विश्लेषण लेन-देन की उचित जांच के बाद करने के लिए डीजीसीआईएंडएस आंकड़ों पर विश्वास किया है।

ठ. सामान्य रूप से स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) तथा पाटनरोधी के नियमावली के अनुबंध 3 के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर भारत में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की लागत और उचित लाभ के आधार पर क्षति रहित कीमत (इसके पश्चात "एनआईपी" के रूप में संदर्भित) तय किया गया है ताकि इस बात का पता लगाया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कम पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा।

ड. घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना का सत्यापन प्राधिकारी द्वारा स्थल पर दौरा और तालिका के अध्ययन के द्वारा आवश्यक सीमा तक किया गया था। आवश्यक संशोधनों के साथ केवल इस प्रकार की सत्यापित सूचना पर प्रारंभिक जांच परिणाम के उद्देश्यसे जहां भी लागू हुआ, विचार किया गया है।

ढ. वर्तमान जांच के उद्देश्य से जांच की अवधि अक्तूबर, 2018 से जून, 2019 है। क्षति की अवधि में 2016-17, 2017-18 2018-2019 और जांच की अवधि शामिल है।

ण. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर उपलब्ध कराई गई सूचना की जांच गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में की गई थी। संतुष्ट होने पर, प्राधिकरी ने जहां भी आवश्यक हुआ, गोपनीयता के दावे को स्वीकार किया है और इस प्रकार की सूचना को गोपनीय और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट न की गई सूचना के रूप में माना गया है। जहां भी संभव हुआ आधार पर सूचना उपलब्ध कराने वाले पक्षकरों को निदेश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय पाठ उपलब्ध कराएं।

त. जहां कहीं भी किसी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान जांच की प्रक्रिया के दौरान सूचना तक पहुंच दिये जाने से इंकार किया है अथवा अन्य प्रकार से आवश्यक सूचना उपलब्ध नहीं कराई है अथवा इस जांच में पर्याप्त रूप से बाधा पहुंचाई है, प्राधिकारी ने ऐसे पक्षकारों को असहयोगी के रूप में माना है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर वर्तमान प्रारभिक जांच परिणामों को रिकॉर्ड किया है।

थ. प्राधिकारी ने इस चरण में सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना ओर दिए गए सभी तर्कों पर उस सीमा तक विचार किया हैजिस सीमा तक उसके समर्थन में साक्ष्य है और उसे वर्तमान जांच के लिए संगत माना गया है। इसके अलावा प्राधिकारी प्रारंभिक जांच परिणाम के बाद हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य संबंधी दस्तावेजों की जांच करेगा जो अंतिम जांच परिणामों के समय निष्कर्षों के लिए आधार बनेगा।

द. इस अधिसूचना में "***" गोपनीय आधार पर किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा प्रस्तुत की गई तथा इस नियमावली के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा उस प्रकार से मांगी गई सूचना का द्योतक है।

ध. संबद्ध जांच के लिए प्राधिकारी द्वारा लिया गया विनिमय दर 1 यूएस डॉलर =71.79 रुपए है।

ग. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

4. विचाराधीन उत्पाद जैसा कि जांच की शुरुआत की सूचना में उल्लेख किया गया है "0.72 डेसीमीटर प्रतिग्राम अथवा उससे अधिक के अंतरनिहित विसकोसिटी वाला "पोलीथीलीन टैरिफफेलेट रेसिन" के रूप में परिभाषित "वर्जिन पोलीथीलीन टैरिफफेलेट रेसिन(पीईटी) रेसिन" है। विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में रिसाईकिल किया हुआ पीईटी रेसिन शामिल नहीं है। पीईटी रेसिन का उपयोग प्रीफोम्स के निर्माण के लिए किया जाता है जिसे इसके बाद खनिजजल, कार्बोनेटेड साफ्ट ड्रिंक, खाद्य तेल, फार्मास्युटिकल उत्पाद आदि के लिए जार और पीईटी बोतल में परिवर्तित किया जाता है।

5. 2 फरवरी, 2017 के पहले संबद्ध वस्तुओं का वर्गीकरण कोड 39076010 और 39076020 के अंतर्गत किए जाने योग्य था। 2 फरवरी, 2017 से, इस उत्पाद का वर्गीकरण बदल कर 39076100 और 39076910 में कर दिया गया था। एक जनवरी, 2020 को इस वर्गीकरण को आगे परिवर्तित कर 39076190 और 39076990 में कर दिया गया था। सीमा शुल्क वर्गीकरण और यह वर्तमान जांच के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।

6. किसी भी हितबद्ध पक्षकारों ने इस प्रारंभिक जांच परिणाम के प्रकाशन के विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र के संबंध में कोई अनुरोध नहीं किया है। प्राधिकारी ने प्रारंभिक जांच परिणामों के उद्देश्य से विचाराधीन उत्पाद के उसी क्षेत्र पर विचार किया है जिसे जांच की शुरुआत के समय परिभाषित किया था।

घ. घरेलू उद्योग का क्षेत्र एवं आधार

घ.1 घरेलू उद्योग का अनुरोध

7. घरेलू उद्योग द्वारा घरेलू उद्योग और आधार के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किये हैं:

i.याचिकाकर्ता अर्थात मैसर्स आईवीएल धनसेरि पैट्रोकेम इंडस्ट्रीज प्रा. लि. और मैसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लि. भारत में संबद्ध वस्तुओं के दो सबसे बड़े उत्पादक हैं और उनका भारत में घरेलू उत्पादन का 51 प्रतिशत उत्पादन है।

ii.यद्यपि मै. आईवीएल धनसेरि पैट्रोकम इंडस्ट्रीज प्रा. लि. अप्रत्यक्ष रूप से चीन से उत्पादक से संबंधित है फिर भी इस प्रकार के उत्पादक द्वारा निर्यातों की मात्रा संबद्ध देश से कुल आयातों और याचिकाकर्ता के उत्पादन और बिक्री तथा भारत में मांग की तुलना में मामूली है। इस कारण से उत्पादक को उस रूप में माना जाना चाहिए कि वह घरेलू उद्योग बनने के लिए पात्र है।

घ.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों का अनुरोध

8. घरेलू उद्योग और आधार के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कोई अनुरोध नहीं किया गया है।

घ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

9. पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) में घरेलू उद्योग को नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित किया गया है:

"घरेलू उद्योग" का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में "घरेलू उद्योग" पद का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।"

10. यह आवेदन आईवीएल धनसेरि पैट्रोकेम इंडस्ट्रीज प्रा. लि. और मैसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लि. द्वारा संयुक्त रूप से दायर किया गया है। मै.आईवीएल धनसेरि पैट्रोकेम इंडस्ट्रीज प्रा. लि. कथित पाटित वस्तुओं के एक निर्यातक अर्थात मै. गुआंगडोंग आईवीएल पीईटी पोलिमर लि. से संबंधित है। हालांकि, संबंधित निर्यातक द्वारा निर्यातों की मामूली मात्रा पर विचार करते हुए, प्राधिकारी ने उपर्युक्त नियमावली के आशय से मै.आईवीएल धनसेरि पैट्रोकेम इंडस्ट्रीज प्रा. लि. को पात्र घरेलू उद्योग के रूप में माना है।

11. याचिकाकर्ता घरेलू उद्योग का हिस्सा कुल पात्र घरेलू उत्पादन का 91% है। इस कारण से आवेदक पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के अंतर्गत घरेलू उद्योग है और यह आवेदन नियम 5(3) की अपेक्षाओं को पूरा करता है।

ड.बाजार अर्थव्यवस्था बर्ताव, सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण

ड.1 घरेलू उद्योग का अनुरोध

12. घरेलू उद्योग द्वारा सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटिन मार्जिन के संबंध में किया गया अनुरोध नीचे दिया गया है:

क. केवल दिसंबर, 2016 तक अनुच्छेद 15(क) के उपयोग के लिए व्यवस्था वाले चीन के आरोहन संबंधी प्रोटोकॉल के अंतर्गत प्रावधान के बावजूद, संबद्ध वस्तुओं के उत्पादकों को यह प्रदर्शित करने के लिए आग्रह किया जाना चाहिए कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां चीन में उद्योग में प्रचलित है।

ख. यदि वे ऐसा करने में सक्षम नहीं हों तो चीन में संबद्ध वस्तुओं की लागत का निर्धारण उचित लाभ के साथ भारत में उत्पादन की लागत के आधार पर अवश्य किया जाना चाहिए।

ग. याचिकाकर्ता ने सीआईएफ कीमत ली है और निर्यात कीमत का निर्धारण करने के लिए समुद्री भाड़े, समुद्री बीमा, कमीशन, पोर्ट संबंधी खर्च, अंतरदेशीय भाड़े और मूल्यवर्धित कर में अंतर से संबंधित समायोजन किया है।

घ. संबद्ध देश के लिए परिकलन की गई पाटन मार्जिन सकारात्मक और अत्यधिक है।

ड.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों का अनुरोध

13. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के निर्धारण के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कोई अनुरोध नहीं किया गया है।

ड.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

14. धारा 9क(1)(ग) के अधीन, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य है:

(i) व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा

(ii) जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रकिया में समान वस्तु की कोई बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा:-

(क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो; अथवा उपराधा- (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उद्गम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत;

(ख) परंतु यदि उक्त वस्तु का आयात उदगम वाले देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश से होकर केवल यानांतरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश में नहीं होता है, अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उद्गम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

15. प्राधिकारी ने संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को प्रश्नावलियां भेजी जिसमें उन्हें यह सलाह दी गई थी कि वे प्राधिकारी द्वारा निर्धारित रूप में और तरीके से सूचना उपलब्ध कराएं। निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने निर्धारित प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत कर इस जांच में सहयोग किया है:

i. जियांगयिन चेनगोल्ड पैकेजिंग मैटेरियल्स कं. लि.

ii. चाइना प्रोसपेरिटी (जियांगयिन) पैट्रोकेमिकल कं. लि.

iii. झेंगजियांग वानकई न्यू मेटिरियल्स

iv. जियांगसु जिंगये प्लास्टिक कं. लि.

v. जियांगयिन जिंगयु न्यू मैटिरियल कं. लि.

vi. जियांगसु कनफेम इंटरनेशनल ट्रेड कं., लि.

16. प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के अंतर्गत सामान्य मूल्य की गणना से संबंधितनिम्नलिखित संगत प्रावधानों को भी नोट करते हैं। पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 और 8 के अंतर्गत प्रावधान नीचे दिए गए अनुसार है:

"7. गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयात के मामले में, उचित लाभ मार्जिन को शामिल करने के लिए भारत में समान उत्पाद के लिए वास्तविक रूप से भुगतान किया गया अथवा भुगतान योग्य, आवश्यकतानुसार पूर्णतया समायोजित कीमत रहित, सामान्य, मूल्य का निर्धारण तीसरे देश के बाजार अर्थव्यवस्था में कीमत अथवा परिकलित मूल्य के आधार पर अथवा भारत सहित ऐसे किसी तीसरे देश से अन्य देशों के लिए कीमत अथवा जहां यह संभव नहीं हैं, या किसी अन्य उचित आधार पर किया जाएगा। संबद्ध देश के विकास के स्तर तथा संबद्ध उत्पाद को देखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा यथोचित पद्धति द्वारा एक समुचित बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश का चयन किया जाएगा और चयन के समय पर उपलब्ध कराई गई किसी विश्वसनीय सूचना पर यथोचित रूप से विचार किया जाएगा। बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी अन्य तीसरे देश के संबंध में किसी समयानुरूपी मामले में की जाने वाली जांच के मामले में जहां उचित हों, समय-सीमा के भीतर कार्रवाई की जाएगी। जांच से संबंधित पक्षकारों को किसी अनुचित विलंब के बिना बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के चयन के विशेष में सूचित किया जाएगा और अपनी टिप्पणियां देने के लिए एक समुचित समयावधि प्रदान की जाएगी।"

8 (1) "गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश" वाक्यांश का अर्थ है कि ऐसा देश जिसे निर्दिष्ट प्राधिकारी लागत अथवा कीमत ढांचे के बाजार सिद्धान्तों को लागू नहीं करने वाले देश के रूप में मानते हैं, जिसके कारण ऐसे देश में पण्य वस्तुओं कि बिक्रियों उप पैराग्राफ (3) में निर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार वस्तुओं के सही मूल्य को नहीं दर्शाती है।"

(2) यह कहना पूर्वनुमान लगाना होगा कि कोई देश जिसे जांच के पूर्ववर्ती तीन वर्षों के दौरान निर्दिष्ट प्राधिकारी अथवा डब्लू .टी.ओ.के किसी सदस्य के समक्ष प्राधिकारी द्वारा पाटनरोधी जांच के प्रयोजनार्थ एक गैर- बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश निर्धारित अथवा माना गया है, एक गैर- बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश है। तथापि, गैर बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश या ऐसे देश से संबंधित फर्म निर्दिष्ट-प्राधिकारी को सूचना तथा साक्ष्य उपलब्ध कराकर इस परिकल्पना को समाप्त कर सकते हैं जो यह साबित करता हो कि ऐसा देश उप पैरा (3) में निर्दिष्ट मानदंड के आधार पर एक गैर बाजार अर्थ-व्यवस्था वाला देश नहीं है।

(3) निर्दिष्ट प्राधिकारी प्रत्येक मामले में निम्नलिखित मानदंड पर विचार करेंगे कि क्या: (क) ऐसे देश में कच्ची समग्रियों प्रौद्योगिकी लागत और श्रम, उत्पादन, बिक्रियों तथा निवेश सहित कीमतों, लागतों तथा निवेशों के संबंध में संबधित फर्म का निर्णय आपूर्ति तथा मांग को दर्शाने वाले बाजार संकेतों तथा इस संबंध में किसी विशिष्ट राज्य हस्तक्षेप के बिना होता है और यह कि क्या मुख्य निवेशों की लागतें वास्तविक रूप से बाजार मूल्यों को दर्शाती है ; (ख) ऐसी फर्मों की उत्पादन लागतों तथा वित्तीय स्थिति पूर्ववर्ती गैर- बाजार अर्थव्यवस्था प्रणाली से उठाये गये विशिष्ट विरूपणों के अधीन होती है, खासकर ऋणों की प्रतिपूर्ति द्वारा परिसम्पत्तियों के मूल्यह्रास, अन्य बट्टे खाते वस्तु विनियम व्यापार तथा ऋणों की क्षतिपूर्ति के जरिए तथा भुगतान के संबंध में ; (ग) ऐसी फर्म दिवालियापन तथा सम्पति कानून के अधीन होती है जो कि फर्मों के प्रचालन की कानूनी निश्चितता तथा स्थायित्व की गारंटी देता है ; (घ) विनियम दर के परिवर्तन बाजार दर पर किये जाते है ;

तथापि, जहां इस पैराग्राफ में निर्दिष्ट मानदंड के आधार पर लिखित रूप में पर्याप्त साक्ष्य दर्शाया जाता है कि पाटनरोधी जांच के अधीन एक अथवा ऐसी अधिक फर्मों के लिए बाजार स्थितियां लागू होती हैं, निर्दिष्ट प्राधिकारी पैरा 7 तथा इस पैरा में निर्दिष्ट सिद्धान्तों के पैरा 1 से 6 में निर्दिष्ट सिद्धान्तों को लागू कर सकते है।

(4)उप पैराग्राफ (2) में किसी बात के होते हुए भी, निर्दिष्ट प्राधिकारी जो संगत मापदंड के अद्यतन विस्तृत मूल्यांकन के आधार पर ऐसे देश को बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश मान सकते हैं जिसमें उप पैराग्राफ (3) में विनिर्दिष्ट मापदंड में किसी सार्वजनिक दस्तावेज में ऐसे मूल्यांकन का प्रकाशन शामिल हो, जिसे विश्व व्यापार संगठन के किसी सदस्य देश द्वारा पाटनरोधी जाँच के प्रयोजनार्थ बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माने जाने के लिए माना या निर्धारित किया हो"

17. जांच की शुरुआत के संबंध में, प्राधिकारी ने गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश के रूप में चीन जनगण को मानते हुए इस अनुमान के साथ कार्यवाही की। जांच की शुरुआत किए जाने पर प्राधिकारी ने चीन जनगण के उत्पादकों/निर्यातकों को जांच की शुरुआत से संबंधित सूचना का उत्तर दिए जाने के संबंध

में सलाह दी और इस तथ्य के निर्धारण से संबंधित सूचना उपलब्ध कराने की सलाह दी कि क्या उनके आंकड़े/सूचना सामान्य मूल्य के निर्धारण के उद्देश्यसे लिए जा सकते हैं। प्राधिकारी ने इस संबंध में संगत सूचना उपलब्ध कराने के लिए सभी ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को बाजार अर्थव्यवस्था बर्ताव/पूरक प्रश्नावली की प्रतियां भेजीं।

18. विश्व व्यापार संगठन में चाइनीज एसेसन प्रोटोकोल के अनुच्छेद 15 में निम्नलिखित प्रावधान है:

"जीएटीटी का अनुच्छेद-VI, टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता, 1994 ("पाटनरोधी समझौता") के अनुच्छेद-VI के कार्यान्वयन पर समझौता तथा एससीएम समझौता निम्नलिखित के अनुरूप डब्ल्यूटीओ सदस्यों में चीन मूल के आयातों वाली कार्यवाहियों पर लागू होंगे:

(क) जीएटीटी के अनुच्छेद-VI और पाटनरोधी समझौते के तहत मूल्य की तुलना का निर्धारण करने में आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य या तो जांचाधीन उद्योग के लिए चीन के मूल्यों अथवा लागतों का उपयोग करेंगे या उस पद्धति को उपयोग करेंगे जो निम्नलिखित के आधार पर चीन में घरेलू मूल्यों अथवा लागतें के साथ सख्ती से तुलना करने में आधारित नहीं है:

(i) यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह दिखा सकते हैं कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां रहती है तो निर्यात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य मूल्य की तुलनीयता का निर्धारण करने में जांचाधीन उद्योग के लिए चीन के मूल्यों अथवा लागतों का उपयोग करेगा।

(ii) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उस पद्धति का उपयोग कर सकता है जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्त अनुपालन पर आधारित नहीं है, यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह नहीं दिखा सकते हैं कि उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग हैं।

(ख) एससीएम समझौते के पैरा II, III और V के अंतर्गत कार्यवाहियों में अनुच्छेद 14(क), 14(ख), 14(ग) और 14(घ) में निर्धारित राजयसहायता को बताते समय एससीएम समझौते के प्रासंगिक प्रावधान लागू होंगे, तथापि, उसके प्रयोग करने में यदि विशेष कठिनाईयां हों, तो आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य राजसहायता लाभ की पहचान करने और उसको मापने के लिए तब पद्धति का उपयोग कर सकते हैं जिसमें उस संभावना को ध्यान में रखती है और चीन में प्रचलित निबंधन और शर्तें उपयुक्त बेंचमार्क के रूप में सदैव उपलब्ध नहीं हो सकती है। ऐसी पद्धतियों को लागू करने में, जहां व्यवहार्य हो, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य के द्वारा चीन से बाहर प्रचलित निबंधन और शर्तों का उपयोग के बारे में विचार करने से पूर्व ऐसी विद्यामान निबंधन और शर्तों को ठीक करना चाहिए।

(ग) आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य उप-पैरा (क) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को पाटनरोधी कार्य समिति के लिए अधिसूचित करेगा तथा उप पैराग्राफ (ख) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को कमिटी ऑन सब्सिडीज और काउंटर वेलिंग मैसर्स के लिए अधिसूचित करेगा।

(घ) आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य को राष्ट्रीय कानून के तहत चीन ने एक बार यह सुनिश्चित कर लिया है कि यह एक बाजार अर्थव्यवस्था है, तो उप पैराग्राफ के प्रावधान (क) समाप्त कर दिए जाएंगे, बशर्ते आयात करने वाले सदस्य के राष्ट्रीय कानून में प्राप्ति की तारीख के अनुरूप बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी मानदंड हो। किसी भी स्थिति में उप पैराग्राफ (क)(ii) के प्रावधान प्राप्ति की तारीख के बाद 15 वर्षों में समाप्त होंगे। इसके अलावा, आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसरण में चीन के द्वारा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां एक विशेष उद्योग अथवा क्षेत्र में प्रचलित हैं, उप पैराग्राफ (क) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के प्रावधान उस उद्योग अथवा क्षेत्र के लिए आगे लागू नहीं होंगे।"

19. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि चीन का का एक्सेसर प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15 (क) (2) के प्रावधान 11 दिसंबर, 2016 से समाप्त हो गए हैं, एक्सेसन प्रोटोकॉल के 15(क)(i) के अंतर्गत दायित्व के साथ पठित पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 2.1.1.1 के अंतर्गत प्रावधान में एमईटी दर्जा का दावा करने के लिए पूरक प्रश्नावली में उपलब्ध कराए जाने के लिए सूचना/आंकड़ों के माध्यम से संतुष्ट किए जाने के लिए पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध 1 के पैरा 8 में निर्धारित मानदंड अपेक्षित हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि जियांगवेन चेन गोल्ड पैकेजिंग मैटिरियल्स कं. लि. और चाइना प्रोसपेरिटी (जियांगवेन) पेट्रोकेमिल लि. के छोड़कर, चीन जनगण के किसी भी अन्य उत्पादक/निर्यातक ने बाजार अर्थव्यवस्था बर्ताव/पूरक प्रश्नावली उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है। इन अन्य उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य की गणना को पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध 1 के पैरा 7 के प्रावधानों के अनुसार विवेचना किया जाना अपेक्षित है। इसके अलावा, प्राधिकारी ने बाद के पैराओं में यथा स्पष्ट किए गए कारणों से जियांगवेन चेन गोल्ड पैकेजिंग मैटिरियल्स कं. लि. और चाइना प्रोसपेरिटी (जियांगवेन) पेट्रोकेमिल लि. को बाजार अर्थव्यवस्था बर्ताव नहीं देने के लिए अनंतिम रूप से निर्धारित किया है।

ड.4 सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण

ड.4.1 जियांगवेन चेन गोल्ड पैकेजिंग मैटिरियल्स कं. लि. और चाइना प्रोसपेरिटी (जियांगवेन) पेट्रोकेमिल लि. का एमईटी दर्जा का मूल्यांकन और इसके सामान्य मूल्य की गणना।

20. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जियांगवेन चेन गोल्ड पैकेजिंग मैटिरियल्स कं. लि. और चाइना प्रोसपेरिटी (जियांगवेन) पेट्रोकेमिल लि. ने पूरक बाजार अर्थव्यवस्था बर्ताव (एमईटी) उत्तर प्रस्तुत कर बाजार अर्थव्यवस्था दर्जा का दावा किया है।

21. वर्तमान मामले में प्राधिकारी नोट करते हैं कि मैं जियांगवेन चेनसिंग इंडस्ट्रियल ग्रुप लि. (चेनसिंग ग्रुप) जो जियांगवेन चेन गोल्ड पैकेजिंग मैटिरियल्स कं. लि. और चाइना प्रोसपेरिटी (जियांगवेन) पेट्रोकेमिल लि. को नियमंत्रित करता है, ने प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है। एमईटी के दावे का उत्तर निर्णय करने, खरीद की लागत और पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध 1 के पैरा 8 (3) के अंतर्गत निर्यातक की वित्तीय स्थिति का आंकलन करने के लिए एक समूह के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। प्रस्तुत किया गया अपूर्ण उत्तर जियांगवेन चेन गोल्ड पैकेजिंग मैटिरियल्स कं. लि. और चाइना प्रोसपेरिटी (जियांगवेन) पेट्रोकेमिल लि. को बाजार अर्थव्यवस्था के दर्जे की व्यापक जांच और सिद्ध करने में सक्षम नहीं बना सकता है। इस कारण से प्राधिकारी ने जियांगवेन चेन गोल्ड पैकेजिंग मैटिरियल्स कं. लि. और चाइना प्रोसपेरिटी (जियांगवेन) पेट्रोकेमिल लि. जिन्होंने बाजार

अर्थव्यवस्था बर्ताव का दावा किया है सहित बाजार अर्थव्यवस्था बर्ताव के लिए योग्य न होने के रूप में चीन जन गण के सभी उत्पादकों/निर्यातकों पर विचार करने के लिए अनंतिम रूप से निर्णय लिया है।

22. इस कारण से सामान्य मूल्य का निर्धारणा पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध 1 के पैरा 7 के आधार पर किया गया है। तद्नुसार प्राधिकारी ने इस नियमावली के अनुबंध 1 के पैरा 7 में निर्धारित पदानुक्रम केअनुसार सामान्य मूल्य की संरचना के विकल्प की तलाश की जिसमें यह प्रावधान है कि सामान्य मूल्य का निर्धारण बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत अथवा संरचित मूल्य के आधार पर अथवा भारत सहित अन्य देशों को इस प्रकार के तीसरे देश से कीमत के आधार पर निर्धारित किया जाएगा अथवा जहां यह संभव नहीं हो वहां किसी अन्य तर्कसंगत आधार पर जिसमें तमाम उत्पाद के लिए भारत में वास्तव में भुगतान की गई अथवा भुगतान किए जाने योग्य कीमत जिसे उचित लाभ मार्जिन शामिल करने के लिए आवश्यकता होने पर विधिवत समायोजित किया गया हो, के आधार पर किया जाना चाहिए।

23. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग सहित किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश अथवा भारत सहित अन्य देशों को इस प्रकार के तीसरे देश से कीमत में संरचित मूल्य अथवा कीमत के संबंध में सूचना उपलब्ध कराई है। चूंकि बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में लागत अथवा कीमत या भारत सहित अन्य देशों को इस कार के तीसरे देश से कीमत के संबंध में रिकॉर्ड पर कोई सूचना नहीं है अत: सामान्य मूल्य का निर्धारण उसके आधार पर नहीं किया जा सकता है। तद्नुसार, सामान्य मूल्य का निर्धारण अनुबंध 1 के पैरा 7 के संबंध में भारत में भुगतोन की गई कीमत अथवा किए जाने योग्य कीमत के आधार पर निर्धारण किया गया है। इस कारण से प्राधिकारी ने 5 प्रतिशत की दर से उचित लाभ मार्जिन को जोड़ने के साथ बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक खर्च के लिए विधिवत समायोजित भारत में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की लागत के सर्वोत्तम अनुमानों के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है। इस प्रकार से संरचित सामान्य मूल्य का उल्लेख पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

ड. 4.2 सहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का निर्धारण

क. चेनसिंग ग्रुप

24. जियांगवेन चेन गोल्ड पैकेजिंग मैटिरियल्स कं. लि. और चाइना प्रोसपेरिटी (जियांगवेन) पेट्रोकेमिकल कं. लि., चेनिसंग ग्रुप की सहायक कंपनी सूचीबद्ध कंपनियां हैं और वे संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन और बिक्रियों में लगे हुए हैं। जियांगवेन चेन गोल्ड पैकेजिंग मैटिरियल्स कं. लि. और चाइना प्रोसपेरिटी (जियांगवेन) पेट्रोकेमिल कं. लि. दोनों ने चीन में अपनी घरेलू बिक्री के आधार पर "सामान्य मूल्य" की गणना करने के लिए बाजार अर्थव्यवस्था बर्ताव का दावा किया है। उपर्युक्त दोनों कंपनियां प्रमुख साझा शेयर होल्डर अर्थात मै. जियांगविन चेनसिंग इंडस्ट्रियल ग्रुप कंपनी लि. के द्वारा एक दूसरे से संबंधित हैं। प्राधिकारी ने समग्र ग्रुप के लिए उत्तर को पूरा करने तथा उत्पादन की लागत के संबंध में कुछ पूरक आंकड़े भी देने के लिए साझा शेयर होल्डर के वास्ते निर्यातक की प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत करने हेतु उत्पादक/निर्यातक समूह से अनुरोध किया। उत्पादक/निर्यातक ने यह कहा है कि मूल कंपनी विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) के उत्पादन अथवा बिक्री में शामिल नहीं हैं तथा निर्यातक एवं उनकी मूल कंपनी के लिए निर्धारित क्रियाकलापों के क्षेत्र के बीच स्पष्ट अंतर है और यह दर्शाया गया है कि

मूल कंपनी का विचाराधीन उत्पाद के लिए पृथक औरअसंबंधित प्रचालन है। उत्पादक/निर्यातक ने यह भी स्पष्ट किया है कि इसका उल्लेख उनके द्वारा पहले प्रस्तुत किए गए समूह की विश्वव्यापी संरचना के भाग के रूप में भी किया गया था। इस कारण से चूंकि मूल कंपनी विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन अथवा बिक्री में शामिल नहीं है तथा निर्यातक की निदेशक बोर्ड में बोर्ड के सदस्यों के रूप में मूल कंपनी के किसी शेयर होल्डर के न होने के कारण इस कंपनी पर इसके पृथक उत्तर की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए।

25. प्राधिकारी शेयर होल्डिंग कंपनी के द्वारा एक पृथक उत्तर के बिना एम ई टी के लिए अपने उत्तर पर विचार करते हुए उत्पादक/निर्यातक के अनुरोधों को नोट करने के बाद यह मानते हैं कि संबंधित कंपनियों के मामले में "सामान्य मूल्य" का मूल्यांकन समूह के लिए समग्र रूप में किया जाता है । उस मामले में जहां एम ई टी के दर्जे का दावा समूह की संबंधित कंपनियों द्वारा किया जाता है, तब पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा-8 में निर्धारित मानदंडों को व्यापक रूप से समग्र समूह के लिए पूरा किया जाना अपेक्षित है और इस कारण से समूह का पूर्ण उत्तर आवश्यक है । इसके अलावा, उत्पादक/निर्यातक से यह अनुरोध किया गया था कि वे उत्पादन की लागत संबंधी ब्यौरे जो उसमें नहीं दिया गया था और जिसे उन्होंने हाल में उपलब्ध कराया है, उपलब्ध कराएं । हालांकि बाजार संकेतों के अनुसार एक दूसरे को प्रभावित किए बिना कच्चे माल और युटिलिटी की खरीद कीमत के संबंध में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है । इस कारण से प्राधिकारी ने आरंभिक जांच परिणाम के उद्देश्य से उत्पादक समूह को एमईटी और अलग-अलग सामान्य मूल्य देने पर विचार नहीं किया है । उत्पादक/ निर्यातक के उपर्युक्त उत्तरों और अनुरोधों की जांच अंतिम जांच परिणाम के चरण में एमईटी और अलग-अलग सामान्य मूल्य के दावे की संगत पाटनरोधी नियमावली के अनुसार जांच की जाएगी ।

(क) <u>सामान्य मूल्य</u>

26. ऊपर में किए गए उल्लेख के अनुसार जियांगवेन चेन गोल्ड पैकेजिंग मैटिरियल्स कं. लि. और चाइना प्रोसपेरिटी (जियांगवेन) पेट्रोकेमिल लि.ने बाजार अर्थव्यवस्था बर्ताव का दावा किया है। बूटास चेनसिंग समूह ने ऊपर में किए गए अनुसार निदेशालय द्वारा मांगी गई सूचना का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया, जियांगवेन चेन गोल्ड पैकेजिंग मैटिरियल्स कं. लि. और चाइना प्रोसपेरिटी (जियांगवेन) पेट्रोकेमिल लि. के बाजार अर्थव्यवस्था का इस चरण में स्वीकार नहीं किया जाता है। सामान्य मूल्य की संरचना ***यूएस डालर/मी.टन के रूप में की गई है, जैसाकि पैरा 23 में ऊपर उल्लेख किया गया है।

(ख) <u>निर्यात कीमत</u>

27. जांच की अवधि के दौरान, जियांगवेन चेन गोल्ड पैकेजिंग मैटिरियल्स कं. लि. और चाइना प्रोसपेरिटी (जियांगवेन) पेट्रोकेमिल लि. नेसंबद्ध वस्तुओं का ***मी.टन निर्यात किया है। निर्यातकों ने कारखानागत कीमत का निर्धारण करने में व्यापारी द्वारा समुद्री बीमा,कमीशन, पोत परिवहन लागत और लाभ के आधार पर समायोजनों का दावा किया है। जियांगवेन चेन गोल्ड पैकेजिंग मैटिरियल्स कं. लि. और चाइना प्रोसपेरिटी (जियांगवेन) पेट्रोकेमिल लि. द्वारा आवश्यक समायोजनों के पश्चात् निर्यात किए गए संबद्ध वस्तुओं के भारित औसत कारखानागत मूल्य की गणना ***यूएस डॉलर प्रति मी.टन के रूप में की गई है। पहुंच मूल्य की गणना ***यूएस डॉलर प्रति मी.टन के रूप में की गई है।

ख. झेजियांग वांनकई न्यू मैटिरियल्स कंपनी लि. का सामान्य मूल्य

(क) सामान्य मूल्य

28. उत्पादक/उत्पादक ने बाजार अर्थव्यवस्था बर्ताव का दावा नहीं किया है और तद्नुसार ऊपर में दिए गए विवरण के अनुसार अनुबंध 1 के पैरा 7 केअनुसार सामान्य मूल्य का निर्धारण किया गया है। सामान्य मूल्य की संरचना ऊपर पैरा 3 में किए गए उल्लेख के अनुसार ***डॉलर प्रति मी.टन के रूप में की गई है।

(ख) निर्यात कीमत

29. जांच की अवधि के दौरान, जेजियांग वांगकाई न्यू मैटिरियल्स क. लि. ने भारत को संबद्ध वस्तु का ***मी.टन का निर्यात किया है। निर्यातक ने निर्यातक कीमत के निर्धारण में समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, अंतरदेशीय भाडा, ऋण लागत, बैंक प्रभार, पोर्ट संबंधी खर्च के आधार पर समायोजनों का दावा किया है। संबद्ध वस्तुओं के कारखानागत निर्यात कीमत निर्यात द्वारा दी गई सूचना के अनुसार समायोजनों की अनुमति देते हुए ***प्रति मी.टन होता है। पहुंच मूल्य की गणना ***प्रति मी.टन के रूप में की गई है।

ग. जियांगसु जिंगवे प्लास्टिक कं. लि., जियांगविन जिंगव्यू न्यू मैटिरियल कं. लि. और जियांगसु सनफेम इंटरनेशनल ट्रेड कं. लि.

(क) सामान्य मूल्य

30. उपर्युक्त तीन संबंधित उत्पादकों/निर्यातकों ने बाजार अर्थव्यवस्था बर्ताव का दावा नहीं किया है और तद्नुसार उपर्युक्त पैरा 23 में दिए गए अनुसार अनुबंध 1 के पैरा 7 के अनुसार सामान्य मूल्य का निर्धारण किया गया है। सामान्य मूल्य की संरचना ***डॉलर प्रति मी.टन के रूप में कीगई है।

(ख) निर्यात कीमत

31. जांच की अवधि के दौरान,जियांगसु जिंगवे प्लास्टिक कं. लि., जियांगविन जिंगव्यू न्यू मैटिरियल कं. लि. और जियांगसु सनफेम इंटरनेशनल ट्रेड कं. लि. ने भारत को प्रत्यक्ष रूप से तथा एक असंबंधित निर्यातक के माध्यम से ***मी.टन की सीमा तक संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है। निर्यात कीमत के निर्धारण में समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, अंतरदेशीय भाड़ा, पोर्ट संबंधी खर्च, बैंक प्रभार, ऋण लागत और गैर प्रतिदाय मूल्यवर्धित कर जहां भी खर्च हुआ हो, के आधार पर निर्यातकों ने समायोजन का दावा किया है। संबद्ध वस्तुओं के लिए कारखानागत निर्यात कीमत निर्यातक द्वारा दावा किए गए समायोजनों की अनुमति देते हुए ***यूएस डॉलर प्रति मी.टन होता है। पहुंच मूल्य की गणना ***डॉलर प्रति मी.टन के रूप में की गई है।

ड. 5. गैर सहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का निर्धारण

32. चीन जन गण के अन्य गैर सहयोगी निर्यातकों के निर्यात मूल्य/निर्यात कीमत का निर्धारण सहयोगी निर्यातकों के लिए जांच किए गए आंकड़ों पर विचार करते हुए उपलब्ध तथ्यों के अनुसार किया गया है और उसका उल्लेख पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है:

ड.6 पाटन मार्जिन का निर्धारण

33. संबद्ध वस्तुओं के लिए, सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर विचार करते हुए संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के लिए पाटन मार्जिन का अनंतिम रूप से निर्धारण निम्नलिखित रूप से किया गया है:

क्र.सं.	उत्पादक	सामान्य मूल्य(डा./ प्रति.मी.टन)	निर्यात कीमत (डा./प्रति.मी.टन)	पाटन मार्जिन (डा./प्रति.मी.टन)	पाटन मार्जिन (%)	पाटन मार्जिन (रेंज %)
1.	जियांगयिन चेनगोल्ड पैकेजिंग मैटिरियल्स कं. लि. और चाइना प्रोसपेरिटी (जियांगयिन पैट्रोकेमिकल्स कं. लि.	***	***	***	***	20-40
2.	जियांगसु जिंगये प्लास्टिक कं. लि., जियांगयिन जियांगयु न्यू मैटिरियल कं. लि. और जियांगसु सनफेम इंटरनेशनल ट्रेड कं., लि.	***	***	***	***	0-20
3.	झेजियांग वानकई न्यू मैटिरियल्स	***	***	***	***	0-20
4.	कोई अन्य उत्पादक/निर्यातक	***	***	***	***	20-40

च. क्षति और कारणात्मक संबंध की जां

च.1 घरेलू उद्योग का अनुरोध

34. घरेलू उदद्योग द्वारा क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में निम्नलिखित अनुरोध किए गए है:

क. संबद्ध देश से आयातों में जांच की अवधि के दौरान बहुत तेजी से वृद्धि हुई है।

ख. आयातों में मांग की तुलना में बहुत तेज गति से वृद्धि हुई है।

ग. कुल आयातों में संबद्ध आयातों का हिस्सा क्षति की अवधि के दौरा 61 प्रतिशत से 94 प्रतिशत हो गया है।

घ. संबद्ध आयातों के कारण जांच की अवधि में कीमत में कटौती में वृद्धि के साथ घरेलू उद्योग की कीमतों में बहुत अधिक कटौती हो रही है।

ड. लागत वही रहने के बावजूद याचिकाकर्ता घरेलू उद्योग अपनी बिक्री कीमत को कम करने के लिए मजबूर हो गया था। इस कारण से आयातों का याचिकाकर्ता घरेलू उद्योग की कीमतों पर न्यूनकारी प्रभाव पड़ा है।

च. घरेलू क्षमता में वृद्धि के बावजूद संबद्ध आयातों की तुलना में घरेलू उत्पादन में कमी आई है।

छ. जबकि घरेलू उद्योग के उत्पादन और बिक्री में वृद्धि हुई है, यह मांग में वृद्धि के अनुपात में नहीं हुआ है।

ज. घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा जांच की अवधि के दौरान 80 प्रतिशत से गिरकर 64 प्रतिशत हो गया।

झ. याचिकाकर्ता घरेलू उद्योग के लाभ में 2017-18 में वृद्धि हुई परन्तु बाद की अवधि में इसमें तेजी से गिरावट आई। घरेलू उद्योग के कार्यनिष्पादन में नकद लाभ और निवेश पर आय के मामले में गिरावट आई है।

य. जबकि याचिकाकर्ता घरेलू उद्योग उत्पादन और बिक्री के मामले में सकारात्मक वृद्धि प्राप्त करने में सक्षम रहा है, इस प्रकार की वृद्धि मांग में वृद्धि के अनुपात में नहीं है। इसके अलावा, इसकी स्थिति में जांच की अवधि में बाजार हिस्से, लाभप्रदता, नकद लाभ और निवेश के मामले में गिरावट आई है।

ट. याचिकाकर्ता घरेलू उद्योग की पूंजी निवेश उगाहने की क्षमता पर ब्याज कवरेज अनुपात में गिरावट के साथ प्रतिकूल रूप से प्रभाव पड़ा है।

च.2 निर्यातकों/आयातकों/प्रयोक्ताओं/ व्यापारियों का अनुरोध

35. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में कोई अनुरोध नहीं किया गया है।

च.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

36. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के विभिन्न अनुरोधों को नोट किया है और रिकॉर्ड पर उपलब्धतथ्यों तथा लागू कानूनों पर विचार करते हुए इसका विश्लेषण किया है। प्राधिकारी द्वारा यहां नीचे किए गए क्षति संबंधी विश्लेषण वास्तव में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों का समाधान करता है।

37. अनुबंध-II के साथ पठित नियमावली के नियम 11 में यह प्रावधान है कि क्षति के निर्धारण में "... पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर इस प्रकार के आयातों का परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत तथ्यों पर विचार करते हुए ..." घरेलू उद्योग को क्षति दर्शाने वाले कारकों की जांच शामिल होगी। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, इस बात की जांच करना आवश्यक माना गया है कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा कीमत में बहुत अधिक कटौती हुई है अथवा यह कि क्या इस प्रकार के आयातों के प्रभाव से अन्यथा कीमतों का बहुत अधिक मात्रा में ह्रास हुआ है अथवा कीमत में वृद्धि रूक जाती जो अन्यथा बहुत अधिक मात्रा में हुई होती। भारत में घरेलू उद्योगों पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए, इन सूचकांकों जिनका उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता हो जैसे उत्पादन, क्षमता का उपयोग, बिक्री की मात्रा, मालसूची, लाभप्रदता, निवल बिक्री प्राप्ति, पाटन की मात्रा और मार्जिन आदि पर विचार नियमावली के अनुबंध-II के अनुसार किया गया है।

च.3.1 घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का मात्रा संबंधी प्रभाव

क. मांग/स्पष्ट खपत का आंकलन

38. प्राधिकारी ने वर्तमान जांच के उद्देश्य से भारत में इस उत्पाद की मांग अथवा स्पष्ट खपत पर भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्री और सभी स्रोतों से आयातों के योग्य के रूप में विचार किया है:

विवरण	यूनिट	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि (अक्तूबर,18-जून,19)	जांच की अवधि वार्षिकी
घरेलू उद्योग	मी.टन	***	***	***	***	***
प्रवत्ति	सूचीबद्ध	100	120	122	89	118
अन्य उत्पादक	मी.टन	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	165	137	136	181
संबद्ध आयात	मी.टन	***	***	***	***	***
अन्य आयात	मी.टन	***	***	***	***	***
कुल मांग	मी.टन	8,19,671	10,47,635	10,88,175	9,02,226	12,02,968
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	128	133	110	147

39. यह देखा गया है कि इस उत्पाद के लिए मांग में क्षति की अवधि के दौरान सतत रूप से वृद्धि हुई है।

ख. <u>संबद्ध देश से आयात की मात्रा</u>

40. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि वे तथ्य पर विचार करें कि क्या पाटित आयातों में या तो स्वतंत्र रूप में अथवा भारत में उत्पादन या खपत की तुलना में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। क्षति के विश्लेषण के उद्देश्य से प्राधिकारी ने डीजीसीआईएंडएस से प्राप्त लेन-देनवार आयात संबंधी आंकड़े पर विश्वास किया है।

विवरण	यूनिट	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि (अक्तूबर, 18-जून,19)	जांच की अवधि वार्षिकीकृत
संबद्ध आयात	मी.टन	42,718	88,247	1,47,601	1,81,979	2,42,638
अन्य आयात	मी.टन	***	***	***	***	***
निम्नलिखित की तुलना में आयात						
घरेलू उत्पादन	%	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	185	297	497	497
खपत	%	***	***	***	***	***

प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	162	260	387	387
कुल आयात	%	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	135	148	154	154

41. यह देखा गया है कि:

क. संबद्ध आयातों में क्षति की अवधि के दौरान पर्याप्त रूप से वृद्धि हुई है जबकि अन्य देशों से आयातों में गिरावट आई है।

ख. संबद्ध आयातों में भी भारत में सकल आयातों, घरेलू उत्पादन और खपत की तुलना में बहुत अधिक वृद्धि हुई है।

च. 3.2 घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का कीमत संबंधी प्रभाव

42. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में इस तथ्य का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है कि क्या भारत में समान उत्पादों की कीमत की तुलना में कथित पाठित आयातों द्वारा कीमत में बहुत अधिक कटौती हुई है अथवा क्या इस प्रकार के आयातों के प्रभाव के कारण अन्य प्रकार से कीमतों पर दबाव पड़ेगा अथवा कीमतों में वृद्धि रुकेगी जो अन्य प्रकार से सामान्य प्रक्रिया में हुई होती। संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रभाव की जांच कीमत में कटौती, कम कीमत पर बिक्री, कीमत न्यूनीकरण और कीमत ह्रास के संदर्भ में की गई है। इस विश्लेषण के उद्देश्य से घरेलू उद्योग की उत्पादन की लागत, निबल बिक्री प्राप्ति (एनएसआर) और क्षति रहित कीमत (एनआईपी) की तुलना संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों की पहुंच कीमत से की गई है।

क. कीमत में कटौती

43. कीमत में कटौती के विश्लेषण के उद्देश्य से घरेलू उद्योग की निबल बिक्री कीमत की तुलना संबद्ध देश से आयातों की पहुंच मूल्य से की गई है। जबकि घरेलू उद्योग की निबल बिक्री कीमत की गणना करते समय सभी करों, छूट, बट्टा और कमीशन की कटौती की गई है और कार्य के पूर्व स्तर पर बिक्री प्राप्ति का निर्धारण पाटित आयातों की पहुंच मूल्य से तुलना करने के लिए की गई है। तद्नुसार, संबद्ध देश से पाटित आयातों की कटौती संबंधी प्रभाव नीचे दिए गए अनुसार तय की गई है:

विवरण	**यूनिट**	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**	**जांच की अवधि (अक्तूबर,18-जून,19)**
निबल बिक्री प्राप्ति	रु./मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	109	135	126
पहुंच कीमत	रु./मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	112	138	133
कीमत में कटौती	रु./मी.टन	***	***	***	***
कीमत में कटौती	%	14.71	11.55	11.44	8.55

44. यह देखा गया है कि संबद्ध आयात इस बाजार में घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से बहुत कम कीमत पर हो रहे हैं। इन आयातों के कारण बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही है।

ख. <u>कीमत न्यूनीकरण और ह्रास</u>

45. इस तथ्य का निर्धारण करने के उद्देश्य से कि पाटित आयातों के कारण घरेलू कीमतों पर दबाव पड़ रहा है और यह कि इस प्रकार के आयातों के प्रभाव के कारण कीमतों पर बहुत अधिक हद तक दबाव पड़ेगा और कीमत में वृद्धि रुक जाएगी जो अन्य प्रकार से सामान्य प्रक्रिया में हुई होती, क्षति की अवधि के दौरान लागतों और कीमतों में परिवर्तन की तुलना नीचे दिए गए अनुसार की गई थी

विवरण	**यूनिट**	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**	**जांच की अवधि (अक्तूबर,18-जून,19)**
बिक्री की लागत	रु./मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	105	132	125
बिक्री की कीमत	रु./मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	109	135	126

46. यह देखा गया है कि जबकि घरेलू उद्योग 2018-2019 तक बिक्री की लागत में वृद्धि से अधिक अपनी बिक्री कीमत में वृद्धि करने में सक्षम हुआ था, बिक्री की लागत और बिक्री की कीमत दोनों में जांच की अवधि में गिरावट आई। हालांकि बिक्री की कीमत में गिरावट की तुलना में बहुत अधिक थी। इन आयातों के कारण जांच की अवधि में घरेलू उद्योग की कीमतों पर दबाव पड़ा था।

ग.<u>कम कीमत पर बिक्री</u>

47. घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत (एनआईपी) का निर्धारण और तुलना कम कीमत पर बिक्री की सीमा पर पहुंचने के लिए संबद्ध वस्तुओं की पहुंच मूल्य से की गई है। विचाराधीन उत्पाद के एनआईपी का निर्धारण इस नियमावली के अनुबंध III में उल्लिखित सिद्धांतों के आधार पर जांच की अवधि के लिए उत्पादन की लागत से संबंधित सत्यापित सूचना/आंकड़ों को लेकर किया गया है। यह विश्लेषण दर्शाता है कि जांच की अवधि के दौरान, संबद्ध आयातों का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत से कम है जिसे कम कीमत पर बिक्री के सकारात्मक प्रभाव को दर्शाते हुए नीचे तालिका में देखा जा सकता है:

विवरण	**यूनिट**	**विषयदेश**
क्षति रहित कीमत(एनआईपी)	₹/MT	***
पहुंच मूल्य	₹/MT	85,911
क्षति मार्जिन	₹/MT	***
क्षति मार्जिनअ	%	0-20

48. यह देखा गया है कि संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित एनआईपी की तुलना में कम थी।

च.3.3. घरेलू उद्योग के आर्थिक मानदंड

49. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II में यह अपेक्षित है कि घरेलू उत्पादकों पर इस प्रकार के उत्पादों का पाटित आयातों के परिणामी प्रभाव की वस्तुपरक जांच शामिल होगी। इस प्रकार के उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर पाटित आयातों के परिणामी प्रभाव के संबंध में, पाटनरोधी नियमावली में आगे यह प्रावधान है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में सभी संगत आर्थिक कारकों और सूचकांक को जिसका इस उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता हो और जिसमें बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्सा, उत्पादकता, निवेश पर आय अथवा क्षमता का उपयोग शामिल हो: घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारकों, पाटन के मार्जिन का आकार, नकद प्रवाह, माल भंडार, रोजगार, मजदूरी, विकास, पूंजी निवेश प्राप्त करने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव शामिल है, का वस्तुपरक तथा निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होना चाहिए।

50. प्राधिकारी ने अपने अनुरोधों में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए तर्कों और विभिन्न पक्षों पर वस्तुपरक तरीके से विचार करते हुए क्षति संबंधी मानदंडों की जांच की।

क.उत्पादन,क्षमता, क्षमता का उपयोग और बिक्री

51. क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, बिक्री और क्षमता उपयोग नीचे तालिका में दिया गया है:

विवरण	यूनिट	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि (अक्तूबर,18 -जून,19)	जांच की अवधि वार्षिकीकृत
क्षमता	मी.टन	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	100	75	100
उत्पादन – विचाराधीन उत्पाद	मी.टन	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	108	114	84	111
उत्पादन – संयंत्र	मी.टन	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	109	114	83	110
क्षमताका उपयोग	%	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	109	114	110	110
घरेलू बिक्री	मी.टन	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	120	122	89	118

52. यह देखा गया है कि जबकि यह क्षमता क्षति की अवधि के दौरान स्थिर रही है, उत्पादन, क्षमता का उपयोग और बिक्री में 2018-19 तक वृद्धि हुई है। यद्यपि वह मांग में वृद्धि के अनुपात में नहीं है। हालांकि जांच की अवधि के दौरान उत्पादन, क्षमता का उपयोग और बिक्री में गिरावट आई, यद्यपि संबद्ध वस्तुओं की मांग में वृद्धि हुई। जबकि मांग में 47 प्रतिशत तक वृद्धि हुई, घरेलू उद्योग की बिक्री में केवल 18 प्रतिशत तक वृद्धि हुई।

ख. बाजार का हिस्सा

53. घरेलू उद्योग का बाजार का हिस्सा नीचे दर्शाई गई तालिका के अनुसार था।

विवरण	**यूनिट**	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**	**जांच की अवधि वार्षिकीकृत**
संबद्ध देश	%	5.21	8.42	13.56	20.17
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	162	260	387
अन्य देश	%	3.26	1.70	1.30	1.16
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	52	40	36
घरेलू उद्योग	%	80.18	75.21	73.42	64.69
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	94	92	81
अन्य उत्पादक	%	11.35	14.67	11.71	13.98
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	129	103	123

54. यह देखा गया है कि संबद्ध आयातों के बाजार हिस्से में क्षति की अवधि के दौरान बहुत अधिक वृद्धि हुई जबकि याचिकाकर्ता घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट आई। यह आंकड़े दर्शाते हैं कि घरेलू उत्पादकों ने संबद्ध देश से आयातों का बाजार खो दिया है।

ग. लाभप्रदता,निवेश पर आय और नकद लाभ

55. घरेलू उद्योग की क्षति की अवधि के दौरान लाभप्रदता, निवेश पर आय और नकद लाभ नीचे तालिका में दिया गया है:

विवरण	यूनिट	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि (अक्तूबर,18 -जून,19)	जांच की अवधि वार्षिकीकृत
बिक्री कीमत	रु./मीटन	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	109	135	126	126
बिक्री की लागत	रु./मीटन	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	105	132	127	127
लाभ/(हानि)	रु./लाख	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	प्रवृत्ति	100	215	211	79	79
लाभ/(हानि)	रु./लाख	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	257	256	70	94
नकद लाभ	रु./लाख	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	203	196	66	88
लगाई गई पूंजी पर लाभ	%	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	245	221	93	93

56. देखा गया कि:

क. घरेलू उद्योग का लाभ जो 2017-18 तक बढ़ रहा था, 2018-19 में उसमें गिरावट आ गई और जांच की अवधि में वह 50 प्रतिशत से अधिक गिर गया।

ख. घरेलू उद्योग के नकद लाभ में 2017-18 तक वृद्धि हुई, 2018-19 में आंशिक गिरावट आई और जांच की अवधि के दौरान उसमें तेजी से गिरावट आई।

ग. घरेलू उद्योग की नियोजित पूंजी पर लाभ जां 2017-18 तक बढ़ रही थी में,2018-19 में मामूली रूप में गिरावट आई और जांच की अवधि में बहुत अधिक मात्रा में गिरावट आई।

घ. रोजगार, वेतन और उत्पादकता

57. प्राधिकारी ने रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता के संबंध में नीचे दी गई सूचना की जांच की है:

विवरण	यूनिट	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि (अक्तूबर,18 -जून,19)	जांच की अवधि वार्षिकीकृत
कर्मचारियों की संख्या	संख्या	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	99	97	97	97
प्रतिदिन उत्पादकता	मी.टन/ प्रति दिन	***	***	***	***	***

प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	108	114	111	111
प्रति कर्मचारी उत्पादकता	मी.टन/ प्रतिदिन	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	109	118	86	115
मजदूरी	रु.लाख	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	82	133	137	137
प्रति यूनिट मजदूरी	रु./मी;टन	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	72	113	121	121

58. यह देखा गया कि:-

क. घरेलू उद्योग की कर्मचारियों की संख्या में क्षति की अवधि के दौरान गिरावट आईहै।

ख. मजदूरी और प्रति यूनिट मजदूरी में क्षति की अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।

ग. घरेलू उद्योग की उत्पादकता में भी जांच की अवधि के दौरान मामूली गिरावट के साथ क्षति की अवधि में वृद्धि हुई है।

ड. मालसूची

59. क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के पास मालसूची की स्थिति नीचे तालिका में दी गई है:

विवरण	**यूनिट**	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**	**जांच की अवधि (अक्तूबर, 18-जून, 19)**
माल सूची	मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	**100**	118	108	86

60. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग के पास औसत मालसूची में जांच की अवधि में उत्पादन में गिरावट के साथ क्षति की अवधि के दौरान कमी आई।

च. पाटन का आकार

61. यह नोट किया गया है कि संबद्ध वस्तुओं का पाटन भारत में किया जा रहा है और पाटन मार्जिन सकारात्मक और महत्वपूर्ण है।

छ. वृद्धि

62. जबकि घरेलू उद्योग 2018-19 तक उत्पादन, बिक्री और क्षमता के उपयोग के संबंध में सकारात्मक वृद्धि प्राप्त करने में सक्षम रहा है, इन कारकों में जांच की अवधि में गिरावट आई। इसके अलावा, इसकी स्थिति जांच की अवधि में बाजार हिस्से, लाभप्रदत्ता, नकद लाभ और निवेश पर लाभ के संबंध में और खराब हो गई है।

ज. पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता

63. घरेलू उद्योग द्वारा अर्जित लाभ में जांच की अवधि में तेजी से गिरावट आई है। ब्याज पूर्व लाभों में गिरावट यह दर्शाता है कि पाटित आयात पूंजी निवेश जुटाने के लिए घरेलू उद्योग की क्षमता पर प्रभाव डाल सकता है।

झ. क्षति का आंकलन

64. उपर्युक्त के आधार पर निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले गए हैं:

क. संबद्ध आयातों में स्वतंत्र रूप में तथा उत्पादों और खपत दोनों की तुलना में जांच की अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।

ख. संबद्ध आयातों के कारण याचिकाकर्ता घरेलू उद्योग की कीमतों में बहुत अधिक सीमा तक कटौती हो रही है।

ग. संबद्ध आयातों का घरेलू उद्योग की कीमतों पर न्यूनकारी प्रभाव पड़ा है और कम कीमत पर बिक्री सकारात्मक है।

घ. घरेलू उद्योग के उत्पादन और बिक्री में 2018-19 तक वृद्धि हुई परन्तु जांच की अवधि में इसमें गिरावट आई।

ड. जबकि याचिकाकर्ता घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में क्षति की अवधि के दौरान गिरावट आई, संबद्ध आयातों में बहुत बड़े बाजार हिस्से को प्राप्त किया।

च. याचिकाकर्ता घरेलू उद्योग के लाभ, नकद लाभ और निवेश पर आय में 2017-18 से गिरावट आई है और जांच की अवधि के दौरान इसमें तेजी से गिरावट आई।

छ. जबकि याचिकाकर्ता घरेलू उद्योग मात्रा संबंधी कुछ मानदंडों में सकारात्मक वृद्धि प्राप्त करने में सक्षम रहा है, जांच की अवधि के दौरान इसमें गिरावट आई है। इसके अलावा, लाभप्रदत्ता संबंधी मानदंडों में इसके कार्यनिष्पादन में भी गिरावट देखी गई है।

च.3.4 वास्तविक क्षति का खतरा

65. आवेदकों ने वास्तविक क्षति के खतरे का भी दावा किया है। खतरे के संबंध में किए गए अनुरोधों की जांच नीचे की गई है:

क. आयात में वृद्धि की दर

66. संबद्ध आयातों में क्षति की अवधि के दौरान बहुत अधिक मात्रा में वृद्धि हुई है। इसके अलावा, संबद्ध आयातों में मांग में वृद्धि की तुलना में अधिक दर पर वृद्धि हुई है:

विवरण	**यूनिट**	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**	**जांच की अवधि वार्षिकीकृत**
संबद्ध आयात	मी.टन	42,718	88,247	1,47,601	2,42,638
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	207	346	568
कुल मांग	मी.टन	8,19,671	10,47,635	10,88,175	12,02,968
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	128	133	147

ग. उत्पादकों के पास अतिरिक्त क्षमताएं

67. याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि चीन जनगण में उत्पादकों के पास अतिरिक्त क्षमताएं हैं जिसे नीचे दर्शाया गया है:

विवरण	यूनिट	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
क्षमता*	लाख मी.टन	78.99	94.72	102.22	125.05	133.05
उत्पादन*	लाख मी.टन	69.55	78.50	84.85	88.25	89.87
अतिरिक्त क्षमताएं	लाख मी.टन	9.44	16.22	17.37	36.80	43.18

*वुड मकेंजी केमिकल्स

68. यह देखा गया है कि चीन के उत्पादकों के पास बहुत अधिक मात्रा में अतिरिक्त क्षमताएं हैं।

ग. तीसरे देशों में लगाया गया व्यापार उपचार शुल्क

69. याचिकाकर्ताओं द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना यह दर्शाती है कि यूएसए, कनाडा, ब्राजील और अर्जेन्टीना द्वारा संबद्ध वस्तुओं के चीन के आयातों के विरुद्ध लगाया गया है और यह संबद्ध देश के संबंधित उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा पाटन के पैटर्न को दर्शाता है। याचिकाकर्ताओं ने इस बात पर बल दिया है कि इन निर्यातकों को इन बाजारों का बंद होना बढ़े हुए पाटन के खतरे को दर्शाता है और आगे घरेलू उद्योग को क्षति को दर्शाता है।

घ. एक बाजार के रूप में भारत की विशिष्टता

70. याचिकाकर्ताओं ने चीन के सीमा शुल्क के व्यापार संबंधी आंकड़ों का उल्लेख किया है, जो यह दर्शाता है कि भारत भी चीन के निर्यातकों के लिए सबसे बड़ा एकल बाजार है। इसके अलावा, चीन जन.गण. से कुल निर्यातों में भारत के निर्यातों का अंश अप्रैल से सितंबर, 2018 में 5 प्रतिशत से बढ़कर अक्तूबर

से दिसम्बर, 2018 में 7 प्रतिशत, जनवरी से मार्च, 2019 में 9 प्रतिशत और अप्रैल-जून, 2019 में 10 प्रतिशत हो गया है। चीन से भारत में निर्यात तीसरे देशों की तुलना में अधिक तेज गति से बढ़ रहे हैं। भारत की एक बाजार के रूप में बढ़ रही महता अपने आप ही पर्याप्त क्षति की आशंका को दर्शाती है।

ड. <u>क्या आयात बाजार में ऐसी कीमतों पर आ रहे हैं जिनका घरेलू उद्योग की कीमतों पर एक मंदी अथवा दमन करने का प्रभाव पड़ेगा</u>

71. संबद्ध आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती होने के साथ ही, घरेलू उद्योग पहले ही अपनी कीमतों को कम करने के लिए विवश है। निरंतर हो रही सकारात्मक कटौती होने के साथ ही, घरेलू उद्योग पहले ही अपनी कीमतों को कम करने के लिए विवश है। निरिंतर हो रही सकारात्मक कटौती यह सुझाती है कि आयातों का घरेलू उद्योग की कीमतों पर आगे दमन करने अथवा मंद करने का प्रभाव पड़ने की संभावना है।

72. क्षति की आशंका के संबंध में, निम्नलिखित निष्कर्ष निकाला गया है:-

क. संबद्ध आयातों में तीव्र गति से वृद्धि हुई है।

ख. चीन जन.गण. में महत्वपूर्ण सरप्लस क्षमताएं मौजूद हैं, जिनमें आगे वृद्धि होने की संभावना है।

ग. अन्य बाजार जैसे यूएसए, कनाडा, ब्राजीलऔर अर्जेन्टीना व्यापार उपचार के उपायों को लागू करने के कारण निर्यातकों के लिए बंद हो सकते हैं।

घ. भारत सबसे बड़ा निर्यात बाजार होने के कारण, संबद्ध देश में निर्यातकों केलिए एक महत्वपूर्ण बाजार है।

ड. घरेलू बाजार में आयात ऐसी कीमतों पर प्रवेश कर रहे हैं, जिनका आगे दमन अथवा मंदी का प्रभाव पड़ने की संभावना है।

73. उपरोक्त चिन्हित कारक घरेलू उद्योग को आगे क्षति की आशंका होने के संबंध में दर्शाते हैं।

च. 4 क्षति की मात्रा और क्षति का मार्जिन

74. प्राधिकारी ने यथासंशोधित अनुलग्नक-III के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली में विनिर्दिष्ट सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए गैर क्षतिकारी कीमत निर्धारित की है। विचाराधीन उत्पाद की गैर क्षतिकारी कीमत का निर्धारण जांच की अवधि के लिए उत्पाद की लागत के संबंध में सत्यापित सूचना/डाटा को अपनाकर किया गया है। घरेलू उद्योग की गैर क्षतिकारी कीमत की गणना की गई है और क्षति मार्जिन की गणना करने के लिए संबद्ध देश से प्रत्येक उत्पादकों/निर्यातकों से पहुंच कीमत के साथ इसकी तुलना की गई है। असहयोगी निर्यातकों के लिए क्षति मार्जिन का निर्धारण प्राधिकारी के पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किया गया है।

क्र.सं.	उत्पादक	एनआईपी (अम.डा./ एम.टी.)	क्षति मार्जिन (अम.डा./ एम.टी.)	क्षति मार्जिन (%)	क्षति मार्जिन (रेंज)
1.	जियांगयिन चेनगोल्ड पैकेजिंग मैटिरियल्स कं. लि. और चाइना प्रोसपेरिटी (जियांगयिन पैट्रोकेमिकल्स कं. लि.	***	***	***	**0-20**
2.	जियांगसु जिंगये प्लास्टिक कं. लि., जियांगयिन जियांगयु न्यू मैटिरियल कं. लि. और जियांगसु सनफेम इंटरनेशनल ट्रेड कं., लि.	***	***	***	**0-20**
3.	झेजियांग वानकई न्यू मैटिरियल्स	***	***	***	**0-20**
4.	कोई अन्य उत्पादक/निर्यातक	***	***	***	**0-20**

छ. असंबद्धता विश्लेषण

75. पाटनरोधी नियमावली के तहत प्राधिकारी द्वारा अन्य के साथ-साथ पाटित आयातों के अलावा किसी ज्ञात कारकों की जांच करनी अपेक्षित है, जो साथ ही साथ घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहे हैं ताकि इन अन्य कारकों से हुई क्षति पाटित आयातों की वजह से न हो। ऐसे कारक जो इस संबंध में संगत हो सकते हैं, उनमें अन्य के साथ-साथ आयातों की मात्रा और कीमतें, जो पाटित कीमतों पर नहीं बेची गई है, मांग में कमी अथवा खपत के पैटर्न में परिवर्तन, व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी के विदेशी व घरेलू उत्पादकों, विकासकों के बीच प्रतिस्पर्धा तथा निर्यात निष्पादन और घरेलू उद्योग की उत्पादकता शामिल है। नीचे इस बात की जांच की गई है कि क्या पाटित आयातों के अलावा अन्य कारकों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हुई होगी।

क. तीसरे देशों से आयातों की मात्रा और कीमतें

76. संबद्ध देश के अलावा अन्य देशों से आयात मात्रा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं हैं जिनसे कि घरेलू उद्योग को क्षति अथवा क्षति आशंका हो सके। इस प्रकार यह नहीं कहा जा सकता कि अन्य देशों से आयातों के कारण क्षति हो रही है।

ख. खपत के पैटर्न में परिवर्तन

77. विचाराधीन उत्पाद की खपत के पैटर्न में कोई पर्याप्त परिवर्तन नहीं हुआ है। अत: खपत के पैटर्न में परिवर्तन होने के कारण घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हुई है।

ग. व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रक्रियाएं

78. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि ऐसे कोई व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रक्रियाएं नहीं हैं, जिनसे कि घरेलू उद्योग को क्षति हो सके।

घ. प्रौद्योगिकी में परिवर्तन

79. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि उत्पाद के उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अत: प्रौद्योगिकी में परिवर्तन क्षति का कोई कारण नहीं है।

ड. निर्यात निष्पादन

80. प्राधिकारी ने केवल घरेलू प्रचालनों के लिए डाटा पर विचार किया है। अत: घरेलू उद्योग के निर्यात निष्पादन में कोई संभव बदलाव होना घरेलू उद्योग को क्षति का कारण नहीं है।

च. उत्पादकता

81. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि याचिकाकर्ता घरेलू उद्योग की उत्पादकता में वृद्धि हुई है। अत: उसे इसके कारण क्षति नहीं हुई है।

छ अन्य उत्पादों का निष्पादन

82. प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तुओं के निष्पादन के संबंध में ही डाटा पर विचार नहीं किया है। अत: याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित और बेचे गए अन्य उत्पादों का निष्पादन घरेलू उद्योग को क्षति का एक संभव कारण नहीं है।

ज. भारतीय उद्योग का हित और अन्य मामले

83. मैसर्स इंडियन प्लास्टिक फेडरेशन द्वारा किए गए अनुरोध

क. घरेलू उत्पादकों द्वारा निर्मित और चीन से निर्यातित पीईटी रेसिन की गुणवत्ता भौतिक और रासायनिक जैसी अनिवार्य उत्पाद विशिष्टताओं के संदर्भ में तुलनीय है, ऐसा कोई भी प्रकट अन्तर नहीं है। तथापि, गुणवत्ता मानक का पता तभी चल सकता है जब बीआईएस अथवा ऐसे समकक्ष संगठन जैसी किसी प्रमाणन एजेंसी द्वारा प्रमाणित किया गया है।

ख. स्वदेशी कच्ची सामग्रीके उत्पादकों द्वारा कच्ची सामग्री की आपूर्ति अनिश्चित है। घरेलूउत्पादकों द्वारा सामग्रियों की आपूर्ति में भी कमी है। इसके अलावा, पीईटी रेसिन की कुछ किस्में हैं जिनका निर्माण घरेलू उत्पादकों द्वारा नहीं किया जाता।

ग. बड़ी कंपनियों को बड़े डिस्काउंट प्रदान किए जा रहे हैं। ये छोटी और मध्यम इकाइयों के लिए उपलब्ध नहीं हैं। कीमत में अन्तर छोटे और मध्यमउद्योग के खिलाफ हैं। अत: छोटे और मध्यमउद्योग चीन से कच्ची सामग्रियों का आयात करना चाहते हैं क्योंकि उनकी कीमत संबंधी नीति और भुगतान की शर्तें आसान हैं।

घ. स्वदेशी कच्ची सामग्री के उत्पादकों से कोई ऋण सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। यह चीन से आयातों के लिए उपलब्ध हैं।

ड. हमारे सदस्यों और संघ की यह रायहै कि चीन से आयातों पर किसी भी पाटनरोधी शुल्क से घरेलू उत्पादकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और इसीलिए प्रस्तावित पाटनरोधी शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए।

84. मै. मद्रास हार्डटूल्स प्रा. लि. द्वाराकिए गए अनुरोध

क. वस्तुओं के घरेलू निर्यातकों को कोई क्षति नहीं हो रही है। स्थानीय उपयोक्ताओं को आपूर्ति की जा रही आयातित वस्तुएं कीमत प्रतिस्पर्धी हैं और गुणवत्ता में अच्छी हैं तथा आपूर्ति के लिए समय का उचित ध्यान रखा जाता है। हमारे दरवाजे पर पीईटी की पहुंच लागत कीमत में सस्ती हैं। आरआईएल सामग्री की हमेशा ही मांग रहती है और आसानी से उपलब्ध नहीं हैं। उनकी शर्तें और कीमतें छोटे निर्माताओं के लिए वहन करने योग्य नहीं हैं, अत: शिकायतकर्ता द्वारा दावा की गई क्षति सामान्यत: एक दवाब की नीति है ताकि पीईटी बाजार में एकाधिकार बना रहे।

ख. विदेशी निर्यातक हमें आपूर्ति की समयसीमा को ध्यान में रखते हुए प्रतिस्पर्धी कीमत पर गुणवत्तापरक सामग्री प्रदान करते हैं और स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं द्वारा एकाधिकार और अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न की गई है। तृरीयक स्तर के डीलरों और निर्माताओं के साथ सीधे बातचीत से सही स्थिति उत्पन्न होगी।

ग. शिकायतकर्ता बाजार में एक काफी बड़ा भागीदार है और साथ ही वह संबद्ध वस्तुओं का निर्यात भी करता है। विदेशों से पीईटी के आयातों से अबाध आपूर्ति और तुलनीय कीमतें तथासही समय पर आपूर्ति सुनिश्चित होती है। पाटनरोधी शुल्क लगाने से सामग्री की लागत बढ़ेगी और स्थानीय आपूर्ति से मांग पूरी नहीं होगी। छोटे निर्माता और उपभोक्ता इससे प्रभावित होंगे। इस प्रभाव काफी खतरनाक है। हम पाटनरोधी उपाय लागू करने के पक्ष में नहीं हैं।

घ. प्राधिकारी को पीईटी उद्योग बाजार में शोध करना चाहिए ताकि शिकायतकर्ता द्वारा आपूर्ति में कटौती करके, उत्पादन को प्रभावित करके कीमतों में वृद्धि करके और छोटे व मध्यम निर्माताओं को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करके अपनाई गई विपणन पद्धति का पता चल सके। अधिकतर इकाइयां उत्पादन बंद कर देंगी जिससे भारी नुकसान होगा और बेरोजगारी होगी तथा स्वरोजगार की हानि होगी। उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों के बावजूद, यदि प्राधिकारी पाटनरोधी शुल्क लगाना चाहते हैं तो इसे भविष्यलक्षी प्रभाव से लगाया जाए।

झ. प्राधिकारी द्वारा जांच

85. प्राधिकारी संबद्ध वस्तुओं की आपूर्ति की समय सारणी, कीमत संबंधी प्रतिस्पर्धाको नोट करते हैं और केवल पाटन की अनुचित व्यापार प्रक्रिया के पहलू का ही समाधान करने का प्रस्ताव करते हैं ताकि घरेलू उद्योग को हुई क्षति का समाधान किया जा सके। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि पाटनरोधी

शुल्कों का प्रयोजन ही सामान्यत: घरेलू उद्योग को पाटन की अनुचित व्यापार प्रक्रियाओं से हुई क्षति को दूर करना है ताकि भारतीय बाजार में खुली और उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति की पुनर्स्थापना हो सके, जोकि देश के सामान्य हित में है। पाटनरोधी उपायों को लागू करने से संबद्ध देश से आयातों पर किसी भी तरह से कोई प्रतिबंध नहीं लगेगा और इसलिए उपभोक्ताओं को उत्पाद की उपलब्धता पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।

ट. क्षति और कारणात्मक संबंध पर निष्कर्ष

86. प्राधिकारी अनंतिम रूप से यह निष्कर्ष निकालते हैं:-

क. संबद्ध आयातों में क्षति अवधि के दौरान निरपेक्ष अर्थों में और उत्पादन व खपत के संबंध में वृद्धि हुई है।

ख. आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही है और इससे घरेलू उद्योग की कीमतों पर मंदी का प्रभाव पड़ा है।

ग. इसके परिणामस्वरूप, घरेलू उद्योग मांग में वृद्धि के अनुसार अपनी बिक्रियों में वृद्धि नहीं कर पाया है और अपना बाजार अंश खो दिया है।

घ. घरेलू उद्योग अपनी कीमतों को कम करने और कम लाभ पर उत्पाद बेचने के लिए विवश है।

ड. घरेलू उद्योग के लाभ, नकदी लाभ और लगाई गई पूंजी पर प्रतिफल में गिरावट आई है।

ठ. निष्कर्ष और सिफारिशें

87. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों और उनमें उठाए गए मामलों की जांच करने और रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों पर विचार करने के बाद प्राधिकारी अनंतिम रूप से यह निष्कर्ष निकालते हैं कि:-

क. विचाराधीन उत्पाद का संबद्ध देशों से भारत में सामान्य मूल्यों से कम मूल्य पर निर्यात किया गया है।

ख. घरेलू उद्योग ने पर्याप्त क्षति का सामना किया है और आगे भी क्षति की आशंका है।

ग. संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं पाटित आयातों के कारण पर्याप्त क्षति हुई है।

88. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जांच शुरू की गई थी और सभी हितबद्ध पक्षकारों को सूचित किया गया था तथा घरेलू उद्योग, निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध के पहलू पर सकारात्मक सूचना प्रदान करने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था। नियमावली के तहत विनिर्दिष्ट प्रावधानों के तहत पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध के लिए जांच शुरू किए जाने पर प्राधिकारी का यह विचार है कि पाटन और क्षति को दूर करने, जांच पूरी होने में विलंब को देखते हुए अनंतिम शुल्क लगाना आवश्यक है। अत: प्राधिकारी इसे आवश्यक मानते हैं और संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं।

89. नियमावली के नियम 4(घ) में निहित प्रावधानों के तहत प्राधिकारी पाटन के मार्जिन और क्षति के मार्जिन में जो कम हो, के समान अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं ताकि घरेलू उद्योग की क्षति को दूर किया जा सके। चूंकि विचाराधीन उत्पाद की आयात कीमतें जांच की अवधि

में घटती-बढ़ती रहती हैं और सामान्यत: गिरावट की प्रवृत्ति को दर्शा रही हैं, जो अक्तूबर, 2018 में 98394रु./मी.टन से जून, 2019 में 78702रु./मीटन हैं, अत: प्राधिकारी संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना की तारीख से संदर्भ/बेंचमार्क कीमत के आधार पर अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करना उचित समझते हैं। संदर्भ कीमत की गणना "पहुंच मूल्य+[(1) पाटनरोधी मार्जिन और (2) क्षति मार्जिन]में जो कम हो, के रूप में की गई है। नीचे दी गई तालिका के कालम में उल्लिखित संदर्भ कीमत और पहुंच मूल्य के बीच अन्तर के समान अनंतिम पाटनरोधी शुल्क होगा। इस प्रयोजन के लिए आयातों का पहुंच मूल्य सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 द्वारा यथा निर्धारित आकलन योग्य मूल्य और सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3, 3क, 8ख, 9, 9क के तहत लगाए गए शुल्कों को छोड़कर सीमा शुल्क को लागू स्तर पर होगा।

शुल्क तालिका

क्र.सं.	**एचएस कोड**	**वस्तुओं का विवरण***	**मूलता का देश**	**निर्यात का देश**	**उत्पादक**	**संदर्भ कीमत**	**इकाई (मी.टन)**	**मुद्रा (यूएसडी)**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**
1.	39076010, 39076020, 39076100, 39076910 और 39076190	"पोलिइथइलेन टेरेफ्लेट रेसिन, जिसकी अन्तर्निहित विस्कोसी **0.72** डेसीलिटर प्रतिग्राम अथवा अधिक है।	चीन जनगण	चीन जनगण	जियांगयिन चेनगोल्ड पैकेजिंग मैटिरियल्स लि./ चाइना प्रोसपेरिटी (जियांगयिन पैट्रोकेमि-कल्स कं. लि.	**146.11**	मी.टन	अम.डालर
2.	39076010, 39076020, 39076100, 39076910 और 39076190	"पोलिइथइलेन टेरेफ्लेट रेसिन, जिसकी अन्तर्निहित विस्कोसी **0.72** डेसीलिटर प्रतिग्राम अथवा अधिक है।	चीन जनगण	चीन जनगण	झेजियांग वानकई न्यू मैटिरियल्स कं. लि.	**15.54**	मी.टन	अम.डालर
3.	39076010, 39076020, 39076100, 39076910	"पोलिइथइलेन टेरेफ्लेट रेसिन, जिसकी अन्तर्निहित विस्कोसी **0.72**	चीन जनगण	चीन जनगण	जियांगसु जिंगये प्लास्टिक कं. लि./ जियांगयिन जियांगयु न्यू मैटिरियल कं.	**60.92**	मी.टन	अम.डालर

	और 39076190	डेसीलिटर प्रतिग्राम अथवा अधिक है।			लि./जियांगसु सनफेम इंटरनेशनल ट्रेड कं., लि.			
4.	39076010, 39076020, 39076100, 39076910 और390761 90	"पोलिइथइलेन टेरेफ्लेट रेसिन, जिसकी अन्तर्निहित विस्कोसी **0.72** डेसीलिटर प्रतिग्राम अथवा अधिक है।	चीन जनगण	चीन से इतर कोई अन्य देश	अन्य	**200.66**	मी.टन	अम.डालर
5.	39076010, 39076020, 39076100, 39076910 **और** 39076190	**"पोलिइथइलेन टेरेफ्लेट रेसिन, जिसकी अन्तर्निहित विस्कोसी** 0.72 **डेसीलिटर प्रतिग्राम अथवा अधिक है।**	**चीन से इतर कोई अन्य देश**	**चीन जनगण**	**अन्य**	**200.66**	**मी.टन**	**अम.डालर**

***** पुनर्चक्रितपीईटी रेसिन को छोड़कर

ड. आगे की प्रक्रिया

90. प्रारंभिक जांच परिणाम अधिसूचित करने से पूर्व निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा:-

क. प्राधिकारी सभी हितबद्ध पक्षकारों से इन अनंतिम जांच परिणामों पर टिप्पणियां आमंत्रित करते हैं और प्राधिकारी द्वारा उन्हें संगत पाए जाने पर अंतिम जांच परिणामों में विचार किया जाएगा।

ख. घरेलू उद्योग, निर्यातक, आयातक और ऐसे अन्य हितबद्ध पक्षकार, जो इससे संबंधित हैं, उन्हें प्राधिकारी द्वारा अलग से भेजा जा रहा है, जो अपने विचारों से इन प्रारंभिक जांच परिणामों को प्रकाशित करने की तारीख से इक्कीस दिनों के भीतर अवगत कराएगें ।

ग. अन्य कोई हितबद्ध पक्षकार भी इन जांच परिणामों के प्रकाशन की तारीख से इक्कीसदिनों के भीतर अपने विचारों से अवगत करा सकते हैं।

घ. प्राधिकारी आवश्यकतानुसार आगे सत्यापन करेंगे ।

ड. प्राधिकारी अंतिम जांच परिणामों की घोषणा करने से पूर्व नियमानुसार आवश्यक तथ्यों को प्रकट करेंगे।

बिद्युत बिहारी स्वैन, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th August, 2020

PRELIMINARY FINDINGS

(OI CASE No: 17/2019)

Subject: Anti-dumping investigations on the imports of "Polyethylene Terephthalate (PET Resin)" originating in or exported from China PR.

F. No. 6/24/2019-DGTR: A. BACKGROUND OF THE CASE

Having regard to the Customs Tariff Act 1975 as amended from time to time (hereinafter referred as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Antidumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 thereof, as amended from time to time (hereinafter referred as the Anti-Dumping Rules or AD Rules);

1. Whereas, M/s IVL Dhunseri Petrochem Industries Private Limited and M/s Reliance Industries Limited (hereinafter referred to as the applicants or petitioning domestic industry) have filed an application before the Authority in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 and the Anti-Dumping Rules for initiation of anti-dumping investigation concerning imports of the Polyethylene Terephthalate (hereinafter also referred to as the product under consideration or the subject goods) from China PR (hereinafter also referred to as the subject country).
2. And whereas, in view of the duly substantiated application filed by the applicants, the Authority in accordance with Section 9 of the Act read with Rule 5 of the Anti-Dumping Rules, initiated the anti-dumping investigation vide File No. 6/24/2019-DGTR dated1st October, 2019, published in the Gazette of India, to determine the existence, degree and effect of any alleged dumping of the subject goods and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the alleged injury to the domestic industry.

B. PROCEDURE

3. The procedure described below has been followed with regard to the investigation:

a. The Authority notified the Embassy of subject country in India about the receipt of the present anti-dumping application before proceeding to initiate the investigation in accordance with Sub-Rule (5) of Rule 5 supra.
b. The Authority issued a public notice dated 1st October, 2019 published in the Gazette of India Extraordinary, initiating anti-dumping investigation concerning import of subject goods from subject country.
c. The Authority sent a copy of the initiation notification dated 1st October, 2019, to the embassy of the subject country in India, the known producers and exporters from the subject country, known importers and other interested parties, as per the available information. The interested parties were requested to provide relevant information in the form and manner prescribed and make their submissions known in writing within the prescribed time-limit.

d. The Authority also provided a copy of the non-confidential version of the application to the known producers/exporters and to the Embassy of the subject country in India in accordance with Rule 6(3) of the Anti-Dumping Rules.

e. The Embassy of the subject country in India was also requested to advise the exporters/producers from their country to respond to the questionnaire within the prescribed time limit. A copy of the letter and questionnaire sent to the producers/exporters was also sent to it along with the names and addresses of the known producers/exporters from the subject country.

f. The Authority sent questionnaires to the following known producers/exporters in the subject country in accordance with Rule 6(4) of the Rules:

i. Jiangsu Sanfangxiang Group Co., Ltd.
ii. Zhejiang Wankai New Materials Co. Ltd.
iii. Far Eastern Industries (Shanghai) Ltd.
iv. Dragon Special Resin(Xiamen) Co. Ltd
v. Guangdong IVL PET Polymer Co., Ltd.
vi. Zhongxin Industry Co., Ltd.
vii. Changzhou Hengqi Plastics Co., Ltd.
viii. Chengold
ix. Chongqing Pengwei
x. Dragon Special Resin
xi. Foshan Famous Polymer Materials Co., Ltd.
xii. Guangdong IVL PET Polymer Co Ltd. (Indorama Ventures)
xiii. Henan Longyu Coal Chemical Co Ltd.
xiv. Zhejiang Zhenbang Chemical Fiber Co Ltd
xv. Jiangsu Sanfangxiang Group
xvi. Maoming Petrochemical Company
xvii. Zhejiang Yisheng Petrochemical Co Ltd.
xviii. Sinopec Yizheng Chemical Fibre Co Ltd.
xix. Tongkun Group Co., Ltd.
xx. Henan Zhongfu Industrial Co., Ltd
xxi. Zhejiang Zhengkai
xxii. Yuhua Polyester Co., Ltd.

g. In response to the above notification, following exporters/ producers have responded or submitted exporter questionnaire responses:

i. Jiangyin Chengold Packaging Materials Co. Ltd
ii. China Prosperity (Jiangyin) Petrochemical Co. Ltd.
iii. Zhejiang Wankai New Materials
iv. Jiangsu Xingye Plastic Co., Ltd.
v. Jiangyin Xingyu New Material Co., Ltd.
vi. Jiangsu Sanfame International Trade Co., Ltd

h. The Authority sent questionnaires to the following known importers / users of subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) of the Rules.

i. Guala Closures India Private Ltd.
ii. Pepsico India Holdings Pvt Ltd.
iii. Sunrise Containers Ltd.
iv. Asb International Pvt Ltd.
v. Starpet Trading Pvt Ltd.
vi. Madras Hardtools Pvt Ltd.
vii. Saikrupa Polymers Corporation
viii. S.S. Polymers

ix. Vinay Plastics
x. Ketul Chem Pvt Ltd.

i. Response has been filed by Madras Hardtools Pvt. Ltd. and Indian Plastics Federation.

j. Authority made available non-confidential version of the evidence presented by various interested parties in the form of a public file kept open for inspection by the interested parties. Submissions made by all interested parties have been taken into account in these preliminary findings.

k. Request was made to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) to provide transaction-wise details of imports of subject goods for the past three years, including the period of investigation, which has been received by the Authority. The analysis of the DGCI&S data received by the Authority has been done and it has been observed that there is no significant difference in the analysis done by the Authority and the analysis done by the Domestic Industry. Since the interactions with the Domestic Industry could not be held on the transaction wise data for consideration of PUC and Non PUC, the Authority has relied upon the analysis submitted by the Domestic Industry for computation of the volume of imports and the Landed value for preliminary determination.

l. The Non-Injurious Price (hereinafter referred to as 'NIP') based on the cost of production and reasonable profits the subject goods in India, based on the information furnished by the domestic industry on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and Annexure III to the Anti-Dumping Rules, has been worked out so as to ascertain whether anti-dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the domestic industry.

m. Verification of the information provided by the domestic industry was carried out by the Authority, to the extent necessary, by way of on-site visit and table study. Only such verified information with necessary rectification, wherever applicable, has been relied upon for the purpose of preliminary findings.

n. The period of investigation for the purpose of present investigation is October, 2018 to June, 2019. The injury period includes 2016-17, 2017-18, 2018-19 and the period of investigation.

o. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis

p. Wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has considered such parties as non-cooperative and recorded the present preliminary findings on the basis of the facts available.

q. The Authority has considered all the arguments raised and information provided by all the interested parties at this stage, to the extent the same are supported with evidence and considered relevant to the present investigation. The Authority will further examine the evidentiary documents submitted by the interested parties subsequent to preliminary findings, which will form the basis for conclusions at the time of final findings.

r. '***' in this notification represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.

s. The exchange rate adopted by the Authority for the subject investigation is 1 US $= Rs. 71.79.

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

4. The product under consideration, as stated in the notice of initiation, is "virgin polyethylene terephthalate (PET) resin", defined as "polyethylene terephthalate resin having an intrinsic viscosity of 0.72 decilitres per gram or higher". The scope of product under consideration does not include recycled PET Resin. PET Resin is used for the manufacturing of preforms, which are then converted into PET bottle and jars for the storage of mineral water, carbonated soft drinks, edible oils, pharmaceutical products etc.

5. Prior to 2nd February, 2017, the subject goods were classifiable under the codes 39076010 and 39076020. From 2nd February, 2017 the product's classification was changed to 39076100 and 39076910. On 1st

January, 2020, the classification was further changed to 39076190 and 39076990. The Customs classification is indicative only and not binding on the scope of present investigation.

6. None of the interested parties have made any submissions in regard to the scope of product under consideration upto the issuance of this preliminary finding. The Authority has considered the same scope of product under consideration for the purpose of preliminary findings as was defined at the time of initiation.

D. SCOPE OF DOMESTIC INDUSTRY & STANDING

D.1. Submissions of the domestic industry

7. Following submissions have been made by the domestic industry with regard to the domestic industry and standing:-

i. The petitioners, namely, M/s IVL Dhunseri Petrochem Industries Private Limited and M/s Reliance Industries Limited are the two largest producers of the subject goods in India accounting for 91% of the domestic production in India.

ii. Although M/s IVL Dhunseri Petrochem Industries Private Limited is indirectly related to a Chinese producer, the quantum of exports by such producer is negligible when compared to the total imports from subject country, the production and sales of the petitioner and the demand in India. Therefore, the producer should be treated as eligible to constitute domestic industry.

D.2. Submissions of other interested parties

8. No submissions have been made by other interested parties regarding domestic industry and standing.

D.3. Examination by the Authority

9. Rule 2(b) of the Anti-Dumping Rules defines domestic industry as under:

> "*(b) "domestic industry" means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term 'domestic industry' may be construed as referring to the rest of the producers*".

10. The application has been filed jointly by M/s IVL Dhunseri Petrochem Industries Private Limited and M/s Reliance Industries Limited. M/s IVL Dhunseri Petrochem Industries Private Limited is related to an exporter, namely, M/s Guandong IVL PET Polymer Co. Ltd, of the alleged dumped goods. However, considering the insignificant quantity of exports by the related exporter, the Authority has considered M/s IVL Dhunseri Petrochem Industries Private Limited as eligible domestic industry within the meaning of the aforementioned Rule.

11. The share of the petitioning domestic industry constitutes 91% of the total eligible domestic production. Hence, the applicants constitute domestic industry under Rule 2 (b) of the Anti-Dumping Rules and the application meets the requirements of Rule 5(3).

E. MARKET ECONOMY TREATMENT, NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DETERMINATION OF DUMPING MARGIN

E.1 Submissions of the Domestic industry

12. The submissions made by the domestic industry with regard to normal value, export price and dumping margin are as follows:

a. Notwithstanding the provision under China's Accession Protocol providing for the application of Article 15(a) only up to December, 2016, the producers of the subject goods must be called upon to demonstrate that market economy conditions prevail in the industry in China.
b. If they are unable to do so, the cost of production of subject goods in China must be determined on the basis of cost of production in India along with reasonable profit.
c. The petitioner has taken the CIF price and made adjustments pertaining to Ocean freight, Marine insurance, Commission, Port expenses, Inland freight, and VAT difference to determine the export price.
d. Dumping margin calculated for the subject country is positive and significant.

E.2 Submissions of other interested parties

13. No submissions have been made by other interested parties regarding the determination of normal value, export price and dumping margin.

E.3 Examination by the Authority

14. Under section 9A (1) (c), normal value in relation to an article means:

i. *The comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article, when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6), or*
ii. *When there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either:*
 a. *comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or*
 b. *the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section* (6);

15. The Authority sent questionnaires to the known producers/exporters from the subject country, advising them to provide information in the form and manner prescribed by the Authority. The following producers/exporters have co-operated in this investigation by filing the prescribed questionnaire responses:

i. Jiangyin Chengold Packaging Materials Co. Ltd.
ii. China Prosperity (Jiangyin) Petrochemical Co. Ltd
iii. Zhejiang Wankai New Materials Co., Ltd.
iv. Jiangsu Xingye Plastic Co., Ltd.
v. Jiangyin Xingyu New Material Co., Ltd.
vi. Jiangsu Sanfame International Trade Co., Ltd.

16. The Authority notes the following relevant provisions related to normal value computation under the Anti-Dumping Rules as well. Provisions under Para 7 and Para 8 of Annexure I to the Anti-Dumping Rules are as under:-

"7. In case of imports from non-market economy countries, normal value shall be determined on the basis of the price or constructed value in a market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India, or where it is not possible, on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted if necessary, to include a reasonable profit margin. An appropriate market economy third country shall be selected by the designated authority in a reasonable manner [keeping in view the level of development of the country concerned and the product in question] and due account shall be taken of any reliable information made available at the time of the selection. Account shall also be taken within time limits; where appropriate, of the investigation if any made in similar matter in respect of any other market economy third country. The parties to the investigation shall be informed without unreasonable delay the aforesaid selection of the market economy third country and shall be given a reasonable period of time to offer their comments.

8. (1) The term "non-market economy country" means any country which the designated authority determines as not operating on market principles of cost or pricing structures, so that sales of merchandise in such country do not reflect the fair value of the merchandise, in accordance with the criteria specified in subparagraph (3).

(2) There shall be a presumption that any country that has been determined to be, or has been treated as, a non-market economy country for purposes of an antidumping investigation by the designated authority or by the competent authority of any WTO member country during the three year period preceding the investigation is a nonmarket economy country. Provided, however, that the non-market economy country or the concerned firms from such country may rebut such a presumption by providing information and evidence to the designated authority that establishes that such country is not a non-market economy country on the basis of the criteria specified in sub-paragraph (3).

(3) The designated authority shall consider in each case the following criteria as to whether: (a) the decisions of the concerned firms in such country regarding prices, costs and inputs, including raw materials, cost of technology and labour, output, sales and investment, are made in response to market signals reflecting supply and demand and without significant State interference in this regard, and whether costs of major inputs substantially reflect market values; (b) the production costs and financial situation of such firms are subject to significant distortions carried over from the former non-market economy system, in particular in relation to depreciation of assets, other write-offs, barter trade and payment via compensation of debts; (c) such firms are subject to bankruptcy and property laws which guarantee legal certainty and stability for the operation of the firms, and (d) the exchange rate conversions are carried out at the market rate. Provided, however, that where it is shown by sufficient evidence in writing on the basis of the criteria specified in this paragraph that market conditions prevail for one or more such firms subject to anti-dumping investigations, the designated authority may apply the principles set out in paragraphs 1 to 6 instead of the principles set out in paragraph 7 and in this paragraph.

(4) Notwithstanding, anything contained in sub-paragraph (2), the designated authority may treat such country as market economy country which, on the basis of the latest detailed evaluation of relevant criteria, which includes the criteria specified in sub paragraph (3), has been, by publication of such evaluation in a public document, treated or determined to be treated as a market economy country for the purposes of anti-dumping investigations, by a country which is a Member of the World Trade Organization."

17. At the stage of initiation, the Authority proceeded with the presumption by treating China PR as a non-market economy country. Upon initiation, the Authority advised the producers/exporters in China PR to respond to the notice of initiation and provide information relevant to determination of whether their data/information could be adopted for the purpose of normal value determination. The Authority sent copies of market economy treatment/supplementary questionnaire to all the known producers/ exporters for providing relevant information in this regard.

18. Article 15 of China's Accession Protocol in WTO provides as follows:

> *"Article VI of the GATT 1994, the Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 ("Anti-Dumping Agreement") and the SCM Agreement shall apply in proceedings involving imports of Chinese origin into a WTO Member consistent with the following:*
> *(a) In determining price comparability under Article VI of the GATT 1994 and the Anti Dumping Agreement, the importing WTO Member shall use either Chinese prices or costs for the industry under investigation or a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China based on the following rules:*
> *(i) If the producers under investigation can clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to the manufacture, production and sale of that product, the importing WTO Member shall use Chinese prices or costs for the industry under investigation in determining price comparability;*
> *(ii) The importing WTO Member may use a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China if the producers under investigation cannot clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to manufacture, production and sale of that product.*
> *(b) In proceedings under Parts II, III and V of the SCM Agreement, when addressing subsidies described in Articles 14(a), 14(b), 14(c) and 14(d), relevant provisions of the SCM Agreement shall apply; however, if there are special difficulties in that application, the importing WTO Member may then use methodologies for identifying and measuring the subsidy benefit which take into account the possibility that prevailing terms and conditions in China may not always be available as appropriate benchmarks. In applying such methodologies, where practicable, the importing WTO Member should adjust such prevailing terms and conditions before considering the use of terms and conditions prevailing outside China.*
> *(c) The importing WTO Member shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (a) to the Committee on Anti-Dumping Practices and shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (b) to the Committee on Subsidies and Countervailing Measures.*
> *(d) Once China has established, under the national law of the importing WTO Member, that it is a market economy, the provisions of subparagraph (a) shall be terminated provided that the importing Member's national law contains market economy criteria as of the date of accession. In any event, the provisions of subparagraph (a)(ii) shall expire 15 years after the date of accession. In addition, should China establish, pursuant to the national law of the importing WTO Member, that market economy conditions prevail in a particular industry or sector, the non-market economy provisions of subparagraph (a) shall no longer apply to that industry or sector."*

19. The Authority notes that while the provisions of Article 15 (a) (ii) of China's Accession Protocol have expired with effect from 11 December 2016, the provision under Article 2.2.1.1 of the Anti-Dumping Agreement read with obligation under 15 (a) (i) of the Accession protocol require criterion stipulated in Para 8 of the Annexure 1 of Anti-Dumping Rules to be satisfied through the information/data to be provided in the supplementary questionnaire for claiming MET status. The Authority notes that except Jiangyin Chengold Packaging Materials Co. Ltd. and China Prosperity (Jiangyin) Petrochemical Co. Ltd, no other producer/exporter from China PR has submitted market economy treatment/supplementary questionnaire response. The normal value computation for these other producers/exporters are required to be dealt as per provisions of Para 7 of Annexure-1 of Anti-Dumping Rules. Further, the Authority has

provisionally determined not to accord market economy treatment to Jiangyin Chengold Packaging Materials Co. Ltd. And China Prosperity (Jiangyin) Petrochemical Co. Ltd for reasons as enunciated in subsequent paragraphs.

E.4 Determination of Normal Value and Export Price for cooperating producers and exporters

E.4.1. Evaluation of MET status of Jiangyin Chengold Packaging Materials Co. Ltd. And China Prosperity (Jiangyin) Petrochemical Co. Ltd and Computation of its Normal Value.

20. The Authority notes that Jiangyin Chengold Packaging Materials Co. Ltd. and China Prosperity (Jiangyin) Petrochemical Co. Ltd have claimed market economy status by submitting the supplementary market economy treatment (MET) response.
21. In the instant case, the Authority notes that M/s Jiangyin Chengxing Industrial Group Co. Ltd. (Chengxing Group), which controls Jiangyin Chengold Packaging Materials Co. Ltd. and China Prosperity (Jiangyin) Petrochemical Co. Ltd has not filed questionnaire response. A MET claim response must be filed as a group, to assess decision making, purchase cost and financial situation of the exporter under Para 8(3) of Annexure 1 of Anti-Dumping Rules. The incomplete response submitted cannot enable comprehensive examination and establishment of market economy status to Jiangyin Chengold Packaging Materials Co. Ltd. and China Prosperity (Jiangyin) Petrochemical Co. Ltd. The Authority has therefore, provisionally decided to consider all producers/exporters of China PR as not qualifying for market economy treatment including Jiangyin Chengold Packaging Materials Co. Ltd. and China Prosperity (Jiangyin) Petrochemical Co. Ltd which have claimed market economy treatment.
22. The normal value has therefore, been determined on the basis of para 7 of Annexure–I to the Anti-Dumping Rules. The Authority accordingly explored the option of construction of normal value as per the hierarchy laid down in Para 7 of Annexure-I of Rules which provides that normal value shall be determined on the basis of the price or constructed value in a market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India, or where it is not possible, on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted if necessary, to include a reasonable profit margin.
23. The Authority notes that none of interested parties including domestic industry have provided information with regard to price or constructed value in a market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India. Since there is no information on record with regard to cost or price in market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India, normal value could not be determined on the basis of the same. Accordingly, the normal value has been determined on the basis of price paid or payable in India in term of para 7 of Annexure–I, The Authority has therefore, determined normal value on the basis of best estimates of cost of production of the subject goods in India, duly adjusted for selling, general & administrative expenses, with the addition of reasonable profit margin @ 5%.The normal value so constructed is mentioned under dumping margin table.

E.4.2. Determination of normal value and export price for cooperating producers and exporters.

A. Chengxing Group

24. Jiangyin Chengold Packaging Materials Co. Ltd. and China Prosperity (Jiangyin) Petrochemical Co. Ltd, subsidiaries of Chengxing Group are listed companies and, are engaged in production and sale of the subject goods. Both Jiangyin Chengold Packaging Materials Co. Ltd. and China Prosperity (Jiangyin) Petrochemical Co. Ltd have claimed market economy treatment for computing 'normal value' on the basis of their domestic sales in China. The above two entities are related to each other by way of major common shareholder i.e. M/s Jiangyin Chengxing Industrial Group Co., Ltd. The Authority requested the producer/exporter group to file the exporter questionnaire response for the common shareholder also to complete the response for the entire group and also certain supplementing data on the cost of production. The producer/exporter has stated that the parent company is not involved in production or sales of the

product under consideration (PUC) and there is a clear distinction between the scope of activities described for the exporters and their parent company, demonstrating that the parent company has separate and unrelated operations to the PUC. The producer/exporter also clarified that this was also mentioned as part of the worldwide structure of the group already filed by them. Therefore since the parent company is not involved in the production or sales of the PUC, as well as the absence of any shareholder of the parent company as board members in the exporters' Board of Directors, there should not be any requirement upon this company to the its separate response.

25. The Authority noting the submissions of the producer/exporter on considering their response for MET without a separate response by the Shareholding Company holds that 'Normal Value' in case of related companies is evaluated for group as a whole. In case where MET status is claimed by the related companies of a group, then criteria stipulated in para 8 of the Annexure 1 of AD Rules are required to be satisfied for the entire group comprehensively, and hence complete response of the group is essential. Further, the producer/exporter was requested to provide the missing cost of production details which they have provided recently. However no evidence regarding purchase price of raw material and utilities being at arms length in accordance with market signals has been provided. Therefore the Authority for the purpose of preliminary finding has not considered according MET and individual normal value to the Producer Group. The aforesaid submissions and response of the producer/exporter will be examined as per relevant AD Rules on claim of MET and individual normal value at the stage of Final Finding.

a. Normal Value

26. As stated above, Jiangyin Chengold Packaging Materials Co. Ltd. and China Prosperity (Jiangyin) Petrochemical Co. Ltd have claimed market economy treatment. But as the Chengxing Group did not file response to the information sought for by the Directorate, as stated above the claim of Jiangyin Chengold Packaging Materials Co. Ltd. and China Prosperity (Jiangyin) Petrochemical Co. Ltd for market economy treatment is not admitted, at this stage. The normal value is constructed as *** US$/MT as explained above in para 23.

b. Export Price

27. During the period of investigation, Jiangyin Chengold Packaging Materials Co. Ltd. and China Prosperity (Jiangyin) Petrochemical Co. Ltd have exported *** MT of the subject goods. The exporters have claimed adjustments on account of Ocean Insurance, Commission, Shipping Cost and Profit by trader in determination of ex-factory export price. The weighted average ex-factory value of subject goods exported by Jiangyin Chengold Packaging Materials Co. Ltd. and China Prosperity (Jiangyin) Petrochemical Co. Ltd after necessary adjustments is computed as *** US$/MT. The Landed Value is computed as *** $/MT.

B. **Zhejiang Wankai New Materials Co., Ltd.**

a. Normal Value

28. The producer/exporter has not claimed market economy treatment and accordingly the normal value has been determined in accordance with Para-7 of Annexure-I, as detailed above. The normal value is constructed as *** $/MT as stated above in para 23.

b. Export Price

29. During the period of investigation, Zhejiang Wankai New Materials Co., Ltd. has exported *** MT of the subject good to India. The exporter has claimed adjustments on account of Ocean Freight, Ocean Insurance, Inland Freight, Credit Cost, Bank Charges, Port Expenses in determination of export price. The ex-factory export price for the subject goods comes to *** $/MT, allowing adjustments as reported by the exporter. The Landed Value is computed as *** $/MT.

C. **Jiangsu Xingye Plastic Co., Ltd., Jiangyin Xingyu New Material Co., Ltd. and Jiangsu Sanfame International Trade Co., Ltd.**

a. Normal Value

30. The above 3 related producers/exporters have not claimed market economy treatment and accordingly the normal value has been determined in accordance with Para-7 of Annexure-I, as detailed above in para 23. The normal value is constructed as *** $/MT.

b. Export Price

31. During the period of investigation, Jiangsu Xingye Plastic Co., Ltd. Jiangyin Xingyu New Material Co., Ltd. and Jiangsu Sanfame International Trade Co., Ltd. have exported the subject goods to India directly as well as through an unrelated exporter to an extent of *** MT. The exporters have claimed adjustments on account of ocean freight ocean insurance, inland freight, port expenses, bank charges, credit cost and non refundable VAT wherever incurred in determination of export price. The ex-factory export price for the subject goods comes to *** US$/MT, allowing adjustments claimed by the exporter. The Landed Value is computed as *** $/MT.

E.5. Determination of normal value and export price for non-cooperating producers and exporters

32. The normal value and export price for other non-cooperating exporters from China PR has been determined as per facts available taking into account the data examined for the co-operating exporters and the same is mentioned in the dumping margin table.

E.6 Determination of Dumping Margin

33. Considering the normal value and export price for subject goods, the dumping margins for the subject goods from subject country have been provisionally determined as follows:

S.No.	Producer	Normal value ($/MT)	Export Price ($/MT)	Dumping Margin ($/MT)	Dumping Margin (%)	Dumping Margin (Range %)
1.	Jiangyin Chengold Packaging Materials Co. Ltd and China Prosperity (Jiangyin) Petrochemical Co. Ltd.	***	***	***	***	20-40
2.	Jiangsu Xingye Plastic Co., Ltd., Jiangyin Xingyu New Material Co., Ltd., and Jiangsu Sanfame International Trade Co., Ltd	***	***	***	***	0-20
3.	Zhejiang Wankai New Materials	***	***	***	***	0-20
4.	Any other producer/ exporter	***	***	***	***	20-40

F. EXAMINATION OF INJURY AND CAUSAL LINK

F.1 Submissions of the Domestic Industry

34. Following submissions have been made by the domestic industry with regard to injury and causal link:

a. The imports from the subject country have increased drastically during the period of investigation.
b. The imports have increased at a much faster pace than the demand.
c. The share of subject imports to total imports has increased from 61% to 94% over the injury period.
d. The subject imports are significantly undercutting the prices of the domestic industry, with price undercutting increasing in the period of investigation.
e. Despite the cost remaining the same, the petitioning domestic industry was forced to reduce its selling price. Therefore, the imports have had a depressing effect on the prices of the petitioning domestic industry.
f. Despite the increase in domestic capacity, domestic production has reduced in relation to the subject imports.
g. While the production and sales of the domestic industry have increased, it is not in proportion to the increase in demand.
h. The market share of the domestic industry has fallen from 80% to 64% over the injury period.
i. The profits of the petitioning domestic industry increased in 2017-18 but drastically fell subsequently. The performance of the domestic industry has also deteriorated in terms of cash profit and return on investment.
j. While the petitioning domestic industry has been able to achieve a positive growth in respect of production and sales, such growth is not commensurate with increase in demand. Further, its position has deteriorated in terms of market share, profitability, cash profit and return on investment in the period of investigation.
k. The ability of the petitioning domestic industry to raise capital investments has been adversely impacted with a fall in interest coverage ratio.

F.2 Submissions of the Exporters/Importers/Users/Traders

35. No submissions have been made by other interested parties regarding injury and causal link.

F.3 Examination by Authority

36. The Authority has taken note of various submissions of the domestic industry and has analyzed the same considering the facts available on record and applicable laws. The injury analysis made by the Authority hereunder ipso facto addresses the various submissions made by the interested parties.
37. Rule 11 of Antidumping Rules read with Annexure II provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, "... taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles...". In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. For the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry in India, indices having a bearing on the state of the industry such as production, capacity utilization, sales volume, inventory, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping, etc. have been considered in accordance with Annexure II of the Anti-Dumping Rules.

F.3.1. Volume Effect of Dumped Imports on Domestic Industry

a. **Assessment of Demand / Apparent Consumption**

38. The Authority has taken into consideration, for the purpose of the present investigation, demand or apparent consumption of the product in India as the sum of domestic sales of the Indian Producers and imports from all sources.

Particular	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI (Oct,18-Jun,19)	POI Annl.
Domestic industry	MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	120	122	89	118
Other producers	MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	165	137	136	181
Subject imports	MT	***	***	***	***	***
Other imports	MT	***	***	***	***	***
Total Demand	MT	8,19,671	10,47,635	10,88,175	9,02,226	12,02,968
Trend	Indexed	100	128	133	110	147

39. It is seen that the demand for the product has increased consistently during the injury period.

b. **Import Volumes from the subject country**

40. With regard to the volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. For the purpose of injury analysis, the Authority has relied on the transaction wise import data procured from DGCI&S.

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI (Oct,18-Jun,19)	POI Annl.
Subject imports	MT	42,718	88,247	1,47,601	1,81,979	2,42,638
Other imports	MT	***	***	***	***	***
Imports in relation to						
Domestic production	%	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	185	297	497	497
Consumption	%	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	162	260	387	387
Total Imports	%	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	135	148	154	154

41. It is seen that:

a. Subject imports increased significantly over the injury period, while imports from other countries declined.
b. The subject imports have also increased significantly in relation to gross imports in India, domestic production and consumption.

F.3.2. Price Effect of the Dumped Imports on the Domestic Industry

42. With regard to the effect of the dumped imports on prices, it is required to be analyzed whether there has been a significant price undercutting by the alleged dumped imports as compared to the price of the like products in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices or prevent price increases, which otherwise would have occurred in the normal course. The impact on the prices of the Domestic Industry on account of the dumped imports from subject country has been examined with reference to price undercutting, price underselling, price suppression and price depression, if any. For the purpose of this analysis, the cost of production, net sales realization (NSR) and the non-injurious price (NIP) of the Domestic Industry have been compared with landed price of imports of the subject goods from the subject country.

a. **Price Undercutting**

43. For the purpose of price undercutting analysis, the net selling price of the Domestic Industry has been compared with the landed value of imports from the subject country. While computing the net selling price of the Domestic Industry all taxes, rebates, discounts and commissions have been deducted and sales realization at ex works level has been determined for comparison with the landed value of the dumped imports. Accordingly, the undercutting effects of the dumped imports from the subject country work out as follows:

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI (Oct,18-Jun,19)
Net Sales Realization	Rs./MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	109	135	126
Landed price	Rs./MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	112	138	133
Price undercutting	Rs./MT	***	***	***	***
Price undercutting	%	14.71	11.55	11.44	8.55

44. It is seen that the subject imports are entering the market at a price significantly below the selling price of the domestic industry. The imports are undercutting the prices of the domestic industry in the market.

b. **Price Suppression and Depression**

45. In order to determine whether the dumped imports are depressing the domestic prices and whether the effect of such imports is to suppress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred in normal course, the changes in the costs and prices over the injury period, were compared as below:

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI (Oct,18-Jun,19)
Cost of Sales	Rs./MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	105	132	125
Selling Price	Rs./MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	109	135	126

46. It is seen that whereas the domestic industry was able to increase its selling price more than the increase in cost of sales till 2018-19, both cost of sales and selling price declined in the period of investigation. However, the decline in the selling price was far more than the decline in the cost of sales. The imports were depressing the prices of the domestic industry in the period of investigation.

c. **Price Underselling**

47. The non-injurious price (NIP) of the Domestic Industry has been determined and compared with the landed value of the subject goods to arrive at the extent of price underselling. The NIP of the product under consideration has been determined by adopting the verified information/data relating to the cost of production for the period of investigation on the basis of principles mentioned in Annexure III of the Rules. The analysis shows that during the period of investigation, the landed value of subject imports was below the non-injurious price of the Domestic Industry, as can be seen from the table below, demonstrating positive price underselling effect:-

Particular	Unit	Subject Country
Non Injurious Price (NIP)	Rs./MT	***
Landed Value	Rs./MT	85,911
Injury Margin	Rs./MT	***
Injury Margin	%	0-20

48. It is seen that the landed price of the subject goods from the subject country was lower than the NIP determined for the domestic industry.

F.3.3. Economic Parameters of the Domestic Industry

49. Annexure II to the Anti-Dumping Rules requires that the determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of dumped imports on domestic producers of such products. With regard to consequent impact of dumped imports on domestic producers of such products, the Anti-Dumping Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the Domestic Industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments.

50. The Authority has examined the injury parameters objectively taking into account various facts and arguments made by the interested parties in their submissions.

a. **Production, Capacity, Capacity utilization and Sale**

51. Capacity, production, sales and capacity utilization of the Domestic Industry over the injury period is given in the following table:-

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI (Oct,18-Jun,19)	POI Annl.
Capacity	MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	100	100	75	100
Production – PUC	MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	108	114	84	111
Production – Plant	MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	109	114	83	110
Capacity Utilization	%	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	109	114	110	110
Domestic Sales	MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	120	122	89	118

52. It is seen that while the capacity remained constant over the injury period, production, capacity utilization and sales increased till 2018-19, though not commensurate with the increase in demand. However, production, capacity utilization and sales declined during the period of investigation, although demand for the subject goods increased. Whereas the demand increased by 47%, the sales of the domestic industry increased only by 18%.

b. **Market Share**

53. Market share of the domestic industry was as shown in table below:

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI (Oct,18-Jun,19)
Subject Country	%	5.21	8.42	13.56	20.17
Trend	Indexed	100	162	260	387
Other Countries	%	3.26	1.70	1.30	1.16
Trend	Indexed	100	52	40	36
Domestic Industry	%	80.18	75.21	73.42	64.69
Trend	Indexed	100	94	92	81
Other Producers	%	11.35	14.67	11.71	13.98
Trend	Indexed	100	129	103	123

54. It is seen that the market share of subject imports increased considerably over the injury period, while the market share of the petitioning domestic industry fell. The data shows that the domestic producers have lost market to the imports from the subject country.

c. Profitability, return on investment and cash profits

55. Profitability, return on investment and cash profits of the Domestic Industry over the injury period is given in the table below:

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI (Oct,18-Jun,19)	POI Annl.
Selling price	Rs./MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	109	135	126	126
Cost of sales	Rs./MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	105	132	127	127
Profit/(Loss)	Rs./MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	215	211	79	79
Profit/(Loss)	Rs./Lacs	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	257	256	70	94
Cash Profits	Rs./Lacs	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	203	196	66	88
Return on Capital Employed	%	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	245	221	93	93

56. It is seen that

a. Profits of the domestic industry which was increasing until 2017-18, declined in 2018-19 and fell more than 50% in the period of investigation.
b. Cash profits of the domestic industry increased till 2017-18, declined slightly in 2018-19 and declined sharply during the period of investigation.
c. The return on capital employed of the domestic industry, which was increasing until 2017-18, declined slightly in 2018-19 and significantly in the period of investigation.

d. Employment, Wages and Productivity

57. Authority has examined the information relating to employment, wages and productivity, as given below.

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI (Oct,18-Jun,19)	POI Annl.
No of Employees	Nos	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	99	97	97	97
Productivity per day	MT/DAY	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	108	114	111	111
Productivity per employee	MT/Nos	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	109	118	86	115
Wages	Rs.Lacs	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	82	133	137	137
Wages per Unit	Rs./MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	72	113	121	121

58. It is seen that: -

a. Number of employees of the domestic industry has reduced over the injury period.
b. Wages and wages per unit have increased over the injury period.
c. Productivity of the domestic industry has also increased over the injury period with a slight fall during the period of investigation.
d. **Inventories**

59. Inventory position with the domestic industry over the injury period is given in the table below:

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI (Oct,18-Jun,19)
Inventories	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	**100**	118	108	86

60. It is seen that the average inventories with the domestic industry decreased over the injury period with the decline in production in the period of investigation.

f. **Magnitude of Dumping**

61. It is noted that the subject goods are being dumped into India and the dumping margin is positive and significant.

g. **Growth**

62. While the domestic industry has been able to achieve a positive growth in respect of production, sales, and capacity utilization upto 2018-19, these factors declined in the period of investigation. Further, its position has deteriorated with regard to market share, profitability, cash profits and return on investment in the period of investigation.

h. **Ability to Raise Capital Investment**

63. The profits earned by the domestic industry have declined sharply in the period of investigation. The decline in profits before interest shows that the dumped imports may impact the ability of the domestic industry to raise capital investment.

i. **Overall Assessment of Injury**

64. On the basis of the above, the following conclusions have been made:

a. The subject imports have increased both in absolute terms as well as in relation to production and consumption during the period of investigation.
b. The subject imports are significantly undercutting the prices of the petitioning domestic industry.
c. The subject imports have had a depressing effect on the prices of the domestic industry and the price underselling is positive.
d. The production and sales of the domestic industry increased till 2018-19, but declined in the period of investigation.
e. While the market share of the petitioning domestic industry declined over the injury period, the subject imports gained significant market share.
f. The profits, cash profits and return on investment of the petitioning domestic industry have deteriorated since 2017-18 and drastically declined during the period of investigation.

g. While the petitioning domestic industry has been able to achieve a positive growth in some volume parameters, the same has declined during the period of investigation. Further, its performance in the profitability parameters also shows a decline.

F.3.4. Threat of material injury

65. The applicants have also claimed threat of material injury. Submissions made regarding threat have been examined below:

a. **Rate of increase in imports**

66. The subject imports have increased significantly over the injury period. Further, the subject imports have increased at a rate higher than the increase in demand.

Particular	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI Annl.
Subject imports	MT	42,718	88,247	1,47,601	2,42,638
Trend	Indexed	100	207	346	568
Total Demand	MT	8,19,671	10,47,635	10,88,175	12,02,968
Trend	Indexed	100	128	133	147

b. **Surplus capacities with producers**

67. The petitioners have claimed that the producers in China PR have excess capacities, as under.

Particulars	Unit	2017	2018	2019	2020	2021
Capacity*	Lakh MT	78.99	94.72	102.22	125.05	133.05
Production*	Lakh MT	69.55	78.50	84.85	88.25	89.87
Surplus capacities	Lakh MT	9.44	16.22	17.37	36.80	43.18

**Wood Mackenzie Chemicals*

68. It is seen that Chinese producers are holding significant surplus capacities.

c. **Trade remedy measures imposed in third countries**

69. Information provided by the petitioners shows that trade remedial measures have been invoked by USA, Canada, Brazil and Argentina against Chinese imports of subject goods show the pattern of dumping by the concerned producers/exporters of the subject country. The petitioners have emphasized that the closure of these markets to the exporters indicates threat of increased dumping and further injury to the domestic industry.

d. **Prominence of India as a market**

70. The petitioners have also referred to the trade data of Chinese customs which shows that India is also the single largest market for Chinese exporters. Further, the share of exports to India in the total exports from China PR has increased from 5% in Apr-Sept, 2018 to 7% in Oct-Dec, 2018, 9% in Jan-Mar, 2019 and 10% in Apr-Jun, 2019. The exports from China to India are increasing at a much faster pace than those to third countries. The increasing importance of India as a market itself highlights threat of material injury.

e. **Whether imports are entering the market at prices that will have a suppressing or depressing effect on the prices of the domestic industry**

71. With the subject imports undercutting the prices of the domestic industry, the domestic industry has already been forced to reduce its prices. The continued positive undercutting suggests that the imports are likely to have a further suppressing or depressing effect on the prices of the domestic industry.
72. With respect to threat of injury, the following is concluded:-

a. The subject imports have increased at a rapid rate.
b. There are significant surplus capacities in China PR, which are expected to increase further.
c. Other markets such as USA, Canada, Brazil and Argentina may be closed for the exporters due to imposition of trade remedial measures.
d. India is an important market for the exporters in the subject country, being the largest export market.
e. The imports are entering the domestic market at such prices as are likely to have a further suppressing or depressing effect.

73. The factors identified above show existence of a threat of further injury to the domestic industry.

F.4 Magnitude of Injury and Injury Margin

74. The Authority has determined non-injurious price for the domestic industry on the basis of principles laid down in Anti-Dumping Rules read with Annexure III, as amended. The non-injurious price of the product under consideration has been determined by adopting the verified information/data relating to the cost of production for the period of investigation. The non-injurious price of the domestic industry has been worked out and it has been compared with the landed price from each of the producers/exporters from the subject country for calculating injury margin. The injury margin for the non-cooperative exporters has been determined based on the facts available with the Authority.

SN	Producer	NIP (USD/MT)	Injury Margin (USD/MT)	Injury Margin (%)	injury Margin (Range)
1.	Jiangyin Chengold Packaging Materials Co. Ltd and China Prosperity (Jiangyin) Petrochemical Co. Ltd.	***	***	***	0-20
2.	Jiangsu Xingye Plastic Co., Ltd., Jiangyin Xingyu New Material Co., Ltd., and Jiangsu Sanfame International Trade Co., Ltd	***	***	***	0-20
3.	Zhejiang Wankai New Materials	***	***	***	0-20
4.	All Others	***	***	***	0-20

NON-ATTRIBUTION ANALYSIS

75. As per the Anti-Dumping Rules, the Authority, inter alia, is required to examine any known factors other than the dumped imports which at the same time are injuring the domestic industry, so that the injury caused by these other factors may not be attributed to the dumped imports. Factors which may be relevant in this respect include, inter alia, the volume and prices of imports not sold at dumped prices, contraction in demand or changes in the patterns of consumption, trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers, developments in technology and the export performance and the productivity of the domestic industry. It has been examined below whether factors other than dumped imports could have contributed to the injury to the domestic industry.

a. **Volume and prices of imports from third countries**

76. The imports from countries other than the subject country are not significant in volume terms so as to cause or threaten to cause injury to the domestic industry. Thus, it cannot be said that imports from other countries are causing injury.

b. **Changes in the pattern of consumption**

77. There have been no material changes in the pattern of consumption of the product under consideration. Hence, changes in the pattern of consumption have not caused injury to the domestic industry.

c. **Trade restrictive practices**

78. The Authority notes that there is no trade restrictive practice, which could have caused injury to the domestic industry.

d. **Change in technology**

79. The Authority also notes that technology for production of the product has not undergone any change. Developments in technology are, therefore, not a factor of injury.

e. **Export performance**

80. The Authority has considered data for the domestic operations only. Any possible deterioration in the export performance of the domestic industry, therefore, cannot be a cause for the injury to the domestic industry.

f. **Productivity**

81. The Authority notes that the productivity of the petitioning domestic industry has increased. Therefore, it has not suffered injury on this account.

g. **Performance of other products**

82. The Authority has only considered data relating only to the performance of the subject goods. Therefore, performance of other products produced and sold by the petitioners are not a possible cause of the injury to the domestic industry.

H. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST & OTHER ISSUES

83. **Submissions made by M/s Indian Plastics Federation:-**

a. The quality of PET Resins manufactured by domestic producers and those imported from China are comparable in terms of essential product characteristics such as physical and chemical. There is no observable difference. However, quality standards can be ascertained only by a certification agency like the BIS or similar organisation.
b. Supply of raw material by indigenous raw material producers is uncertain. There is also short supply of materials by domestic producers. Furthermore, there are certain varieties of PET resins that are not manufactured by domestic producers.
c. Large discounts are offered to big companies. This is not available to small and medium units. This price disparity goes against small and medium industries. Hence small and medium industries prefer to import raw materials from China since their pricing policy and terms and conditions of payment are easier.

d. There are no credit facilities available from indigenous raw material producers. This is available to imports from China.
e. Our members and Federation are of the opinion that any anti-dumping duty on imports from China will affect the domestic processors adversely. and, therefore, the proposed anti-dumping duty should not be imposed.

84. **Submissions made by M/s Madras Hardtools Pvt. Ltd.;**

a. There is no injury being caused to the domestic manufactures of goods. The imported goods catering to the local users are competitive in price and good in quality with delivery time lines well kept. The landed cost of PET at our doors, is considerably cheaper in price. RIL material is always in demand and not easily available. Their terms and prices are not capable of being affordable for small manufacturers therefore, the injury claimed by the complainant is simply a bullying tactic to have monopoly in PET market.
b. The overseas exporters give us a quality material at a competitive price keeping delivery timelines as against the inconsistency and one-upmanship and chaotic situations created by local suppliers. Direct interaction with the tertiary level dealers and manufacturers will reveal the position.
c. The complainant is fairly a big player in the market and also exports the subject goods. The imports of PET from overseas ensures uninterrupted supply and comparative prices and delivery schedules. Imposing of ADD would push the cost of material and the local supply will not meet the demand. Small manufacturers and down the line consumers will suffer. The impact is highly dangerous. We are not in favour of imposition of anti-dumping measures.
d. The Authority should take research in the PET Industries market, to realize the marketing strategy adopted by the complainant by curtailing supplies, increasing the prices affecting the production and adversely impacting the small and medium scale manufacturers. Most of the units will go out of production ending up in huge losses and unemployment and self employment. In spite of the above facts and circumstances, if the Authority considers imposition of ADD it may be made prospective.

I. EXAMINATION BY THE AUTHORITY

85. The Authority notes the submissions regarding the issues of delivery schedule of supply of subject goods, price competitiveness and proposes to only address the aspect of unfair trade practice of dumping so as to redress the injury caused to the domestic industry. The Authority further notes that the purpose of anti-dumping duties, in general, is to eliminate injury caused to the Domestic Industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the Country. Imposition of anti-dumping measures would not restrict imports from the subject country in any way, and, therefore, would not affect the availability of the product to the consumers.

J. CONCLUSION ON INJURY & CAUSAL LINK

86. The Authority provisionally concludes as under:
a. The subject imports have increased in absolute terms and in relation to production and consumption over the injury period.
b. The imports are undercutting the prices of the domestic industry, and have depressed the prices of the domestic industry.
c. As a result, the domestic industry has not been able to increase its sales in line with the increase in demand, and has lost market share.
d. The domestic industry has been forced to reduce its prices and sell the product at lower profits.
e. The profits, cash profits and return on capital employed of the domestic industry have deteriorated.

K. CONCLUSION & RECOMMENDATIONS

87. After examining the submissions made by the interested parties and issues raised therein; and considering the facts available on record, the Authority provisionally concludes that:

a. The product under consideration has been exported to India from the subject country below their normal values.
b. The domestic industry has suffered material injury and there is threat of further injury.
c. Material injury has been caused by the dumped imports of the subject goods from the subject country.

88. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all interested parties and adequate opportunity was given to the domestic industry, exporters, importers and other interested parties to provide positive information on the aspect of dumping, injury and causal link. Having initiated and conducted the investigation into dumping, injury and causal link in terms of the provisions laid down under the Anti-Dumping Rules, the authority is of the view that imposition of provisional duty is required to offset dumping and injury, pending completion of the investigation. Therefore, Authority considers it necessary and recommends imposition of provisional anti-dumping duty on imports of subject goods from the subject country.

89. In terms of provision contained in Rule 4(d) of the Rules, the Authority recommends imposition of provisional anti-dumping duty equal to the lesser of margin of dumping and margin of injury, so as to remove the injury to the domestic industry. Accordingly, the Authority recommends imposition of provisional anti-dumping duty on the imports of the subject goods, originating in or exported from the subject country, from the date of notification to be issued in this regard by the Central Government, equal to the amount mentioned in Col. 7 of the duty appended below. The landed value of imports for this purpose shall be assessable value as determined by the Customs under Customs Act, 1962 and applicable level of custom duties except duties levied under Section 3, 3A, 8B, 9, 9A of the Customs Tariff Act, 1975.

Duty Table

S.No.	HS Code	Description of goods*	Country of Origin	Country of Export	Producer	Amount	Unit	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	39076010, 39076020, 39076100, 39076910 and 39076190	"Polyethylene terephthalate resin having an intrinsic viscosity of 0.72 decilitres per gram or higher"	China PR	China PR	Jiangyin Chengold Packaging Materials Co. Ltd. / China Prosperity (Jiangyin) Petrochemical Co. Ltd	146.11	MT	USD
2.	39076010, 39076020, 39076100, 39076910 and 39076190	"Polyethylene terephthalate resin having an intrinsic viscosity of 0.72 decilitres per gram or higher"	China PR	China PR	Zhejiang Wankai New Materials Co., Ltd.	15.54	MT	USD
3.	39076010, 39076020, 39076100, 39076910 and 39076190	"Polyethylene terephthalate resin having an intrinsic viscosity of 0.72 decilitres per gram or higher"	China PR	China PR	Jiangsu Xingye Plastic Co., Ltd. / Jiangyin Xingyu New Material Co., Ltd. / Jiangsu Sanfame International Trade Co., Ltd.	60.92	MT	USD
4.	39076010, 39076020, 39076100, 39076910 and 39076190	"Polyethylene terephthalate resin having an intrinsic viscosity of 0.72 decilitres per gram or higher"	China PR	Any country other than China	Any	200.66	MT	USD

5.	39076010, 39076020,3 9076100, 39076910 and 39076190	"Polyethylene terephthalate resin having an intrinsic viscosity of 0.72 decilitres per gram or higher"	Any country other than China	China PR	Any	200.66	MT	USD

*** Excluding recycled PET Resin**

L. FURTHER PROCEDURE

90. The procedure as below would be followed subsequent to notifying the preliminary findings:

a. The Authority invites comments on these provisional findings from all interested parties and the same, considered relevant by the Authority, would be considered in the final findings.
b. Domestic Industry, exporters, importers and other interested parties known to be concerned are being addressed separately by the Authority, who may make their views known, within twenty one days from the date of the publication of these preliminary findings.
c. Any other interested party may also make known its views within twenty one days from the date of publication of these findings.
d. The Authority would conduct further verification to the extent deemed necessary.
e. The Authority would disclose the essential facts as per the Anti-dumping Rules before announcing the final findings.

BIDYUT BEHARI SWAIN, Spl. Secy. & Designated Authority

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2020.08.06 23:30:57 +05:30